उत्तरांचल शासन

वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

भाग–1

(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा)

वर्ष

2003–2004

प्रतिवेदक : निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह–स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरॉचल, देहरादून।

विषय सूची

भाग–1

(1) प्रशासनिक खण्ड

क्र0सं0	विवरण	कण्डिका	पृष्ठ संख्या
1–	विभागीय प्राधिकार के स्रोत	2.1, 2.2, 2.3	1–2
2–	सम्परीक्षाधीन लेखे	3.1, 3.2	2–3
3–	सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य	4.1	3
4–	प्रभागीय आय–व्ययक	5.1 से 5.3	5
5–	विभागीय आय एवं व्यय का समन्वय	6.1 से 6.2	5–6
6–	विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था	7.1 से 7.4	6–7
7–	विभाग की जनशक्ति	8	7
8–	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष में सम्पादित सम्परीक्षा कार्य	9	7
9–	सम्परीक्षा मे उद्घाटित अनियमिततायें	10.1.1	8
10–	विशेष सम्परीक्षायें	10.1.2	9
11–	सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति	10.2.1	9–10
12–	लेखाकार परीक्षा का आयोजन	12	11
13–	जिला पंचायतों, स्थानीय निकायों, जल संस्थानों के पेंशन एवं आनुतोषिक प्रकरणों का निस्तारण	13	11
14–	निष्कर्ष	14	11
(2) कार्यकारी खण्ड		—	12–52
(3) परिशिष्ट क,ख,ग,घ,(ड.) व अन्य		—	53–68

भाग–2

(1)–प्रशासनिक खण्ड

क्रम संख्या	कण्डिका	पृष्ठसंख्या
1–विभागीय प्रधिकार के स्रोत	2.1	2–3
2–सम्प्रेक्षाधीन लेखे	3,1–3.2	3
3–सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य	4.1–4.2	3–5
4–प्रभागीय आय–व्ययक	5.1 से 5.3	5
5–विभागीय आय एंव व्यय का समन्वय	6.1 से 6.2	5
6–विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था	7.1–7.3	5–6
7–प्रभाग की जनशक्ति	8	6
8–सहकारी एंव पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2003–04 में सम्पादित स.म्परीक्षा कार्य	9	7
9–सम्परीक्षा में उद्घघाटित अनियमिततायें	10.1.1	7
10 –विशेष सम्परीक्षाऐं	10.1.2	7
11--सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति	10.2.1 से 2.2	8
12–निष्कर्ष	11	8
(2)–कार्यकारी खण्ड–	–	9–26
(3) परिशिष्ट,क,ख,ग,घ व अन्य	–	27–38

1– प्रशासनिक खण्ड

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 की धारा–8(3) के अधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा पूर्ववर्ती राज्य के विधानों के अनुसार नवसृजित राज्य में भी इस विभाग के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा सम्पादित की जा रही हैं। नवसृजित राज्य के विधान मण्डल के पटल पर वर्ष 2002–2003 का वार्षिक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 की धारा–8(3) के अन्तर्गत गत वर्ष रखा जा चुका है।

लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाने के उपरान्त शासन के प्रशासकीय विभागों यथा नगर विकास, कृषि एवं जलागम, पर्यटन एवं तीर्थाटन तथा शिक्षा और निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, निदेशक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा को अनुपालन कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रतिवेदन की प्रति भेजी गयी। इसके परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालयों द्वारा आपत्तियों के निस्तारण में रूचि ली गयी और शिविर लगाकर विश्वविद्यालयों की लम्बित आडिट आपत्तियों का निराकरण किया गया, परन्तु अन्य संस्थाओं यथा स्थानीय निकायों, शिक्षण संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं द्वारा आपत्तियों के अनुपालन में कोई रूचि नहीं ली गई। परिणामस्वरूप उक्त संस्थाओं पर बड़ी संख्या में आपत्तियॉं लम्बित हैं। अतः भविष्य के लिए एक ऐसी तकनीक विकसित की जानी अपेक्षित है कि सम्परीक्षाधीन संस्थायें आडिट आपत्तियों के अनुपालन की दिशा में प्रयासरत रहें ताकि इन स्वायतशासी संस्थाओं में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित हो सके। इस सम्बन्ध में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 की धारा 9 की उपधारा 5 के अन्तर्गत दोषी संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही लिया जाना भी समीचीन होगा।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा सम्परीक्षित लेखाओं पर आधारित वर्ष 2003–2004 का वार्षिक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन विधान मण्डल में रखने हेतु प्रस्तुत है।

2– विभागीय प्राधिकार के स्रोतः–

2.1 प्रदेशान्तर्गत अवस्थित स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के संगत नियमों एवं तद्धीन निर्मित नियमावलियों एवं परिनियमावलियों आदि में यथा स्थान शासन द्वारा इस बात की व्यवस्था की गयी है कि उक्त संस्थाओं की निधियॉं "स्थानीय निधि" (लोकल फण्ड) के नाम से जानी जायेगी और उनके लेखाओं की लेखा परीक्षा निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें–सह–स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरॉचल के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा की जायेगी। संहत रूप से सभी स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से इस विभाग के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा किये जाने की दृष्टि से वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5, भाग–1 के पैरा 369 "के" में यह प्राविधान किया गया है कि निदेशक द्वारा राज्य सरकार से अनुदान पाने वाले सभी

स्थानीय निकायों/संस्थाओं के लेखाओं की सम्परीक्षा करके अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित एक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर निर्गत किया जायेगा।

इस नियम में यह भी व्यवस्था है कि भारत सरकार की ओर से इन स्थानीय निकायों/संस्थाओं के कार्य कलाप पर दृष्टि रखने के लिए निदेशक द्वारा वर्षान्त में संहत रूप से वर्षान्तर्गत स्वीकृत अनुदान के उपभोग की स्थिति से महालेखाकार को सूचित किया जायेगा, जिससे शासन द्वारा प्रदेश के लोक सेवा निधि से स्वीकृत किये गये अनुदानों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो सके कि सम्बन्धित निकायों/संस्थाओं द्वारा इन अनुदानों का उपभोग उन्ही प्रयोजनों के निमित्त किया गया है अथवा नहीं, जिनके लिए वे स्वीकृत किये गये थे तथा उन संगत नियमों का पालन किया गया है अथवा नही, जिनके अन्तर्गत उन्हें उक्त धनराशियों का उपभोग करना था।

2.2 उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 (उत्तर प्रदेश के अधिनियम संख्या–12 सन् 1984) जो कि दिनांक 30 अप्रैल, 1984 से प्रवृत्त हुआ, की धारा–4(2) के अन्तर्गत विधान मण्डल ने इस विभाग को यह शक्ति भी प्रदान की है कि ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की परीक्षा पूर्णतया ऐसे किसी अधिनियम में जिसके द्वारा या अधीन स्थानीय प्राधिकारी का गठन किया गया है, उसके अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के दौरान या अधीन उपबन्धित रीति से की जायेगी।

2.3 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 में प्रादेशिक विधान मण्डल द्वारा उपर्युक्त स्पष्ट आदेश पारित करने के उपरान्त अब स्थिति यह है कि प्रदेशान्तर्गत स्थित सभी स्थानीय निकायों एवं अनुदानित संस्थाओं के लेखाओं की सम्परीक्षा अनिवार्यतः निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा की जानी है।

3– सम्परीक्षाधीन लेखे ––

3.1 वर्ष 2003–04 में सम्परीक्षाधीन संस्थाओं के लेखाओं की संख्या 2083 थी। उप सम्परीक्षाधीन 2067 संस्थाओं के विवरण संलग्न ***परिशिष्ट 'क' भाग–1*** में दिये गये हैं। शेष सम्वर्ती सम्परीक्षा एवं शत प्रतिशत लेखा परीक्षा किये जाने वाली 16 संस्थाओं की सूची ***परिशिष्ट 'क' भाग–2*** के रूप में संलग्न है।

3.2 – सम्परीक्षाधीन प्रमुख स्थानीय निकायों तथा संस्थाओं के संगत अधिनियमों आदि जिसके आधार पर सम्परीक्षा की गयी है, की सूची *परिशिष्ट 'ख''* में दी गयी है।

4– सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य ––

4.1 – शासन द्वारा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग को प्रदेश की स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं को स्वीकृत किये गये वित्तीय अनुदानों एवं ऋणों आदि का उपभोग सुनिश्चित करने के लिए इन स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं की सकल आय एवं व्यय की सम्परीक्षा का दायित्व दिया गया है जिससे सम्परीक्षा के माध्यम से शासन एवं विधान मण्डल को यह ज्ञात होता रहे कि इन संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी विशिष्ट अधिनियमों में अपेक्षित जन आकांक्षाओं की पूर्ति इनके द्वारा की जा रही है अथवा नही। अतः इस सन्दर्भ में सम्परीक्षा का कार्य मात्र लेखा परीक्षा न रहकर संस्था के सम्बन्ध में वित्तीय अनुशासन से जुडे सभी पहलुओं की समीक्षा का एक गुरूतर दायित्व भी हो जाता है।

4.2 –स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग के कार्यकलाप निम्नवत् हैं :–

➡ 1– सम्परीक्षाधीन स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमित एवं अनिगमित निकायों, विश्वविद्यालयों, सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालयों, अन्य शिक्षण संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य शासकीय/अशासकीय संगठनों आदि के विविध लेखों की नियमित सम्परीक्षा करना एवं परिणाम से संस्थाओं तथा शासन को सूचित करना।

➡ 2–उपर्युक्त संस्थाओं का वित्तीय मार्ग दर्शन करना।

➡ 3– उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों पर अभिमत देना।

➡ 4– सम्परीक्षा के उपरान्त यथा आवश्यक अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित उपभोग प्रमाण पत्र निर्गत करना।

➡ 5– नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों, जल संस्थानों, जिला पंचायतों, बद्रीनाथ–केदारनाथ मन्दिर समिति के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को देय पेन्शन एवं उपादान की पुष्टि एवं संस्तुति करना।

➡ 6– महा लेखाकार को उपर्युक्त संस्थाओं को स्वीकृत अनुदानों के उपभोग के सम्बन्ध में संहत आख्या प्रस्तुत करना।

➡ 7– नगर पालिका परिषदों, जिला पंचायतों, नगर निगम, विकास प्राधिकरणों एवं जल संस्थानों के लेखाकार पद हेतु अर्हकारी लेखाकार परीक्षा का आयोजन करना।

➡ 8– विभाग के नवनियुक्त लेखा परीक्षकों एवं जिला सम्परीक्षा अधिकारियों को आधारभूत प्रशिक्षण तथा विभागीय अधिकारियों एवं लेखा परीक्षा कर्मियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण देना।

➡ 9– सेवारत विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मार्गदर्शन एवं उन्हें सम्परीक्षा से सम्बन्धित अद्यतन शासकीय आदेशों से युक्त करने के लिए उनका प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण आयोजित करना।

➡ 10– स्थानीय निकाय के लेखा कर्मियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देना।

➡ 11– विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विशिष्ट क्षेत्रों में निष्णात् गणमान्य व्यक्तियों की संगोष्ठियॉ आयोजित करना।

➡ 12– धर्मादा सन्दान न्यासों के निधियों को विनियोजित करने तथा उन पर प्राप्त ब्याज को प्रादेशिक एवं भारत सरकार के न्यासों को संवितरण करना।

➡ 13– विभागीय कार्यकलापों सहित संहत वार्षिक प्रतिवेदन विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना।

➡ 14– सम्परीक्षाधीन लेखाओं पर नियमानुसार सम्परीक्षा शुल्क आरोपित करना तथा उनकी वसूली करना।

➡ 15– सम्परीक्षाधीन स्थानीय प्राधिकारियों के अधिनियम एवं परिनियमो के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत क्षति, कपट, दुरूपयोग आदि के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध अधिभार कार्यवाही करना।

➡ 16– उपर्युक्त स्थानीय निकायों/संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य लेखाओं की आवश्यकतानुसार विशेष सम्परीक्षा सम्पादित करना।

➡ 17– शासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यो पर शासन को आख्या प्रस्तुत करना।

5 – प्रभागीय आय–व्ययक :–

5.1 यद्यपि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा स्थानीय निकायों/स्वायतशासी संस्थाओं व अन्य निगमित एवं अनिगमित संस्थाओं आदि की सम्परीक्षा की जाती है, यह प्रभाग पूर्णतया उत्तरांचल शासन के वित्त विभाग के अधीन है और इस प्रभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी सरकारी सेवक हैं। इस बात का उल्लेख यहॉ विशेषतया इस प्रयोजन से किया जा रहा है कि सम्परीक्षाधीन संस्थाओं द्वारा कभी–कभी इस प्रकार की शंकाऐ व्यक्त की जाती है कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग भी स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं की तरह अशासकीय तो नही है।

5.2 – इस प्रभाग की समस्त प्राप्तियाँ प्रादेशिक राजकोष में जमा होती हैं तथा विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रादेशिक आय–व्ययक के माध्यम से राज्य निधि से विभागीय व्यय हेतु धन उपलब्ध कराया जाता है।

5.3 – लेखा परीक्षा शुल्क विभागीय आय का मुख्य स्रोत है। सम्परीक्षा शुल्क का आरोपण शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाता है जो सम्परीक्षित संस्था द्वारा सीधे राजकोष में जमा किया जाता है। वर्तमान में निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दरें **(परिशिष्ट 'ग')** उत्तरांचल राज्य में भी लागू है।

6 – विभागीय आय एवं व्यय का समन्वय :– वित्तीय वर्ष 2003–2004 में विभागीय व्यय एवं इस वर्ष में आरोपित सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् है:–

क0सं0	*वित्तीय वर्ष*	*व्यय (रूपये)*	*आरोपित सम्प0शुल्क(रू0)*
1–	2003–2004	8004440=00	29502954=35

6.2 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा कृत कार्य सेवा प्रकृति (सर्विस नेचर) के हैं जिन पर होने वाले व्यय की तुलना आरोपित शुल्क से नही की जा सकती है।

7.1– विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था :– उत्तरांचल शासन के वित्त विभाग के शा0 सं0 5058/वि0शा0स0/2001 दिनांक 19 जून,2001 द्वारा सम्परीक्षा का कार्य निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह–स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल के नियन्त्रणाधीन एक प्रभाग के रूप में कार्यरत है जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः द्वि–स्तरीय है:–

(1) मुख्यालय स्तरीय।
(2) जिला स्तरीय।

जनपदीय कार्यालयों की सूची *परिशिष्ट "घ"* में दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त संवर्ती सम्परीक्षा कार्यालय भी है जिन पर प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशालय द्वारा होता है। सम्वर्ती कार्यालयों की सूची *परिशिष्ट "घ-1"* में दी गई है।

7.2–1– मुख्यालय स्तर :– स्थानीय निधि लेखा परीक्षा का प्रधान कार्यालय देहरादून में स्थित है जो निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिट नाम से जाना जाता है। इसके विभागाध्यक्ष निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल हैं जिन्हे अपने कार्यो के साथ–साथ पदेन रूप से कोषाध्यक्ष धर्मादा संदान उत्तरांचल तथा भारतीय धर्मादा संदान के उत्तरांचल वृत के कार्यो का भी सम्पादन करना पड़ता है।

7. 2–2– मुख्यालय पर निदेशक के सहयोगी के रूप में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं जिसका विवरण प्रस्तर–8 में दिया गया है। वर्तमान में जनपदों की प्रमुख बड़ी संस्थाओं जैसे:– नगर निगम, नगर पालिका परिषदों, विकास प्राधिकरणों, मन्दिर समितियों, इन्जीनियरिंग कालेजों, विश्वविद्यालयों आदि के लेखाओं की लेखा परीक्षा के कार्य का पर्यवेक्षण, इन निकायों के सेवा निवृत कर्मचारियों के पेंशन एवं आनुतोषिक के सत्यापन एवं पुष्टीकरण का कार्य मुख्यालय स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

7.3 – जनपद स्तरीय :– लेखा परीक्षाधीन ईकाइयाँ राज्य के शहरी क्षेत्र से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचलों तक में स्थित हैं। विभाग के लेखा परीक्षक सभी जनपदों में नियुक्त कर दिये जाते हैं जो सम्बन्धित जनपद में स्थित लेखा परीक्षाधीन ईकाइयों की लेखा परीक्षा करते रहते हैं। उनके कार्यो पर स्थानीय नियन्त्रण, पर्यवेक्षण एवं मार्ग दर्शन हेतु जनपद स्तर पर जिला सम्परीक्षा अधिकारी के कार्यालय स्थापित है। प्रदेश के 13 जिलों में अब तक 09 जिलों में जिला सम्परीक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित हैं। शेष जनपदों में अभी तक जनपदीय कार्यालय नही खोले जा सके हैं। अतः निकटवर्ती जिला सम्परीक्षा अधिकारी द्वारा ही उन जनपदों के कार्यो का सम्पादन किया जा रहा है।

7.4 राज्य स्तरीय :– शासनादेश सं0 वि0 अनु0–1/2003 दिनांक 03 सितम्बर, 2003 द्वारा उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद हल्द्वानी एवं वन विकास निगम नरेन्द्र नगर में सम्परीक्षा अधिकारियों के कार्यालय स्थापित किय गये हैं।

8– विभाग की जनशक्ति :– वर्ष 2003–04 के अन्त में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग में श्रेणीवार स्वीकृत पदों एवं उन पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् रहा है।

क्र0स0	अधिकारी/कर्मचारी का समूह	स्वीकृत पद	कार्यरत सं0	कार्यरत कर्मियों का प्रतिशत
1–	समूह''क''	02	01	50 प्रतिशत
2–	समूह''ख''	16	06	38 प्रतिशत
3–	समूह ''ग''			
	(1) वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड–।	05}	02}	
	(2) वरिष्ठ लेखा परीक्षक	85} 120	20} 27	}22.5 प्रतिशत
	(3) लेखा परीक्षक	30}	05}	
	(4) आशुलिपिक	03	शून्य	शून्य
	(5) वरिष्ठ लिपिक/लिपिक	40	18	45 प्रतिशत
	(6) वाहन चालक	03	01	33 प्रतिशत
4–	समूह ''घ''	59	09	15 प्रतिशत

9– स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष में सम्पादित सम्परीक्षा कार्यः–

वर्ष 2003–2004 में अधिकांश पदों के रिक्त रहने के उपरान्त भी सम्परीक्षाधीन 2083 लेखाओं में से 572 लेखाओं की सम्परीक्षा पूर्ण की गई। शेष 1511 लेखाओं की सम्परीक्षा जनशक्ति की कमी के कारण सम्पादित नही करायी जा सकी।

10.1.1 – ***सम्परीक्षा में उद्घाटित अनियमिततायें :–***

(क) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2003–2004 तक में सम्परीक्षित लेखाओं में उद्घाटित विशिष्ट अनियमितताओं के अन्तर्गत कुल रू0 101041244=11 की धनराशि अन्तर्निहित थी जिसका संस्थावार/शीर्षकवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	*शीर्षक*	*धनराशि*
1–	व्यपहरण	50,702=00
2–	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य	1,29,79,978=42
3–	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमितताऐं	33,49,971=00
4–	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितताऐं	50,46,360=00
5–	आर्थिक क्षति	3,80,78,192=69
6–	राजस्व क्षति	13,27,917=00
7–	दुर्विनियोग	7,12,506=00
8–	अनानुमोदित व्यय (शासन की स्वीकृति के बिना /बजट से अधिक व्यय	3,94,95,617=00
	योग	***10,10,41,244=11***

(ख) उपरोक्त के अलावा 31 मार्च, 2004 को विभिन्न संस्थाओं/विश्वविद्यालयों द्वारा अग्रिमों का समायोजन न किये जाने के कारण रू0 14493867=00 के अग्रिम असमायोजित थे जबकि नियमानुसार इनका समायोजन 31 मार्च, 2004 तक किया जाना चाहिए था।

संस्थावार

क्र0 सं0	लेखे का नाम	अनियमितताओं में अन्तर्निहित धनराशि	असमायोजित अग्रिमों की धनराशि	योग
1	नगर पालिका परिषदें	12598292=70	332800=00	12931092=70
2	नगर पंचायतें	1231811=00	—	1231811=00
3	के0एल0 पालीटैक्निक	22444=00	—	22444=00
4	उत्तराचंल राज्य कृषि उत्पा0 म0 परिषद	2840283=72	—	2840283=72
5	कृषि उत्पा0म0समि0	4669955=69	—	4669955=69
6	बे0शिक्षा समितियाँ	65330=00	—	65380=00
7	कुमाऊँ वि0वि0 नैनीताल	10804435=00	—	10804435=00
8	इण्टर कालेज	2581=00	—	2581=00
9	हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर	68320405=00	14161067=00	82481472=00
10	कुमाऊँ इन्जीनियरिंग कालेज द्वाराहाट	77244=00	—	77244=00
11	के0एल0डी0ए0वी0 महा विद्यालय रूड़की	7100=00	—	7100=00
12	राष्ट्रीय सेवा योजना (मा0शिक्षा नैनीताल)	401312=00	—	401312=00
	योग	***101041244=11***	***14493867=00***	***115535111=11***

10.1.2 —— विशेष सम्परीक्षाऐं :— प्रभाग के सम्परीक्षाधीन संस्थाओं के बारे में अत्यन्त गम्भीर प्रकृति यथा गबन/दुर्विनियोग/आर्थिक क्षति से सम्बन्धित की विशेष जांच संस्था अथवा जिलाधिकारी या आयुक्त के अनुरोध पर शासन की स्वीकृति से सम्पादित की जाती है। वर्ष 2003–2004 में किसी भी लेखे की विशेष सम्परीक्षा सम्पादित नही करायी गयी।

10.2.1 ——सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति :— वर्ष 2003–2004 में आरोपित एवं वसूल किये गये सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् थी :—

		(रूपयों में)
01 अप्रैल, 2003 को प्रारम्भिक शेष		39182699=91
वर्ष में स्थापित मांग		29502954=35
	योग	***68685654=26***
वर्ष में समाहरण		19406785=00
31 मार्च, 2004 को बकाया		***49278869=26***

10.2.2–– उपर्युक्त से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा आरोपित लेखा परीक्षा शुल्क की वसूली करने का पूरा प्रयास किया गया। इन्ही प्रयासों के फलस्वरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक करोड़ चौरानवे लाख छः हजार सात सौ पिचासी रूपये की वसूली हुई है जिसमें गत वर्ष का बकाया भी सम्मिलित है किन्तु यह वसूली कुल बकाया धनराशि की तुलना में संतोषजनक नही रही इसका प्रमुख कारण वर्तमान में सम्परीक्षा शुल्क की वसूली के सम्बन्ध में विभाग को विशेष अधिकार प्राप्त न होना है। उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम –1964 की धारा –4(4) के अधीन केवल शासन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सम्बन्धित स्थानीय निधि/संस्थाओं के बैंकर्स को सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से यह आदेश दे सकते हैं कि उनके बैंक खातों से सम्परीक्षा शुल्क की धनराशि राजकीय कोषागार के निर्दिष्ट लेखा शीर्षक में अन्तरित कर दे। इस सम्बन्ध में उत्तरांचल स्थानीय निधि/निकाय लेखा परीक्षा नियमावली, 2001 का प्रख्यापन अपेक्षित है ताकि शुल्क वसूली हेतु नियमावली के प्राविधानों के अधीन रहते हुए विभाग स्तर पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

11.1– श्री टी0 एन0 सिंह, निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल को उत्तरांचल शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 132/वि0अनु0–4/2002 दिनांक 10 जनवरी, 2002 द्वारा चैरिटेबुल एण्डाउमेन्ट एक्ट 1890 (एक्ट आफ 1980) की धारा–3 के अधीन उत्तरांचल की भौगोलिक सीमा में स्थित न्यासों की सम्पत्तियों के लिए कोषपाल नियुक्त किया गया है। इनकी सूची संलग्न *परिशिष्ट (ङ.)* में दी गयी है।

उत्तरांचल के न्यासों की प्रतिभूतियों में जमा धनराशि एवं अर्जित ब्याज का विस्तृत विवरण पूर्ववर्ती राज्य से पत्राचार के उपरान्त भी अभी तक प्राप्त नही हुआ है।

12– लेखाकार परीक्षा का आयोजन :– जिला पंचायतों, नगर पालिका परिषदों एवं जल संस्थानों की लेखाकार परीक्षा के आयोजन कराने की कार्यवाही की जा रही है।

13 – जिला पंचायतों, स्थानीय निकायों, जल संस्थानों के पेन्शन एवं आनुतोषिक प्रकरणों का निस्तारण :– वर्ष 2003–04 में पेन्शन प्रकरणों की प्राप्ति एवं उनके निस्तारण की स्थिति निम्नवत् थी :–

वर्ष के प्रारम्भ में शेष	*वर्ष में प्राप्त*	*वर्ष में निस्तारित*	*अवशेष*
06	325	303	28

14 – निष्कर्ष :– उपर्युक्त प्रतिवेदन के साथ संलग्न ***परिशिष्ट "क"*** से स्पष्ट है कि इस प्रभाग को वर्ष 2003–04 में 2083 लेखाओं की लेखा परीक्षा सम्पादित करनी थी। स्टाफ की कमी के कारण सम्परीक्षा शुल्क देने वाली स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं की सम्परीक्षा को वरीयता देते हुए पूर्ण कराने का लक्ष्य निश्चित करते हुए अधिकांश संस्थाओं (572 लेखाओं) की लेखा परीक्षा समाप्त करायी गयी।

आलोच्य वर्ष में सम्परीक्षित संस्थाओं के लेखाओं से सम्परीक्षा आख्याओं के आधार पर पूर्वोक्त कण्डिका 10(1) में वर्णित **रू0 101041244=11** की वित्तीय अनियमितताऐं प्रकाश में आयी जिनमें व्यपहरण, दुर्विनियोग अधिक एंव अनियमित भुगतान, आर्थिक क्षति, राजस्व की हानि आदि प्रकरण समाविष्ट हैं।

(टी0एन0 सिंह)
निदेशक

2— कार्यकारी खण्ड

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग, उत्तरांचल

(वर्ष 2003–2004)

वर्ष 2003–04 में जिन संस्थाओं की सम्परीक्षा सम्पादित की गयी, उनमें उद्घाटित वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रकरण अनुवर्ती पृष्ठों तथा सम्बन्धित संस्थाओं के खण्ड में दिये जा रहे हैं।

इन वित्तीय अनियमितताओं में अन्तर्निहित धनराशियों के संस्थावार विवरण निम्न प्रकार हैं :–

क0सं0	लेखे की श्रेणी	अनियमितता में अन्तर्निहित धनराशि
1–	नगर पालिका परिषदें	12598292=70
2–	नगर पंचायतें	1231811=00
3–	कृ0उ0म0 समितियाँ	4669955=69
4–	बेसिक शिक्षा समिति	65380=00
5–	उत्तरांचल कृ0उ0म0 परिषद	2840283=72
6–	इण्टर कालेज/अन्य शिक्षण संस्थायें	2581=00
7–	कुमाऊँ इन्जीनियरिंग कालेज द्वाराहाट	77244=00
8–	राष्ट्रीय सेवा योजना (माध्यमिक शि0 कुमाऊँ मण्डल नैनीताल)	401312=00
9–	के0एल0 पालीटेक्निक रूड़की	22444=00
10–	हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्व विद्यालय श्रीनगर(गढ0)	68320405=00
11–	कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल	10804435=00
12–	के0एल0डी0ए0वी0 महाविद्यालय रूड़की	7100=00
	योग	101041244=11

टिप्पणी :– उपरोक्त राशियों में असमायोजित अग्रिमों की धनराशि सम्मलित नही है।

वर्ष 2003–2004 में सम्पन्न सम्परीक्षाऐं

नगर पालिका परिषदें

नगर पालिका परिषद मसूरी वर्ष 2002–2003 :–

(क) राजस्व क्षति :– निर्माण कार्यो से सम्बन्धित अनुबन्धों में निर्धारित दरों से कम मूल्य के स्टाम्प पत्रों का प्रयोग किये जाने से रू0 11,400=00 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6

(ख) अनियमित भुगतान :– नगर पालिका कर्मचारियों को बिना किसी प्राविधान के रू0 30=00 प्रतिमाह चिकित्सा भत्ते का भुगतान किया जा रहा था जिससे रू0 17550/- का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो (ब) प्रस्तर–1 (1)

(ग) असमायोजित अग्रिम :– वर्ष के अन्त तक भी पूर्व में स्वीकृत अग्रिम रू0 3,32,800/- की वसूली अथवा समायोजन नही किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर 1 ब (xii)

नगर पालिका परिषद काशीपुर वर्ष 2000–01 से 2001–2002 :–

(क) राजस्व क्षति :– ठेको में कम दर से स्टाम्प पेपर का प्रयोग किये जाने से रू0 3,10,980=00 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–13

(ख) आर्थिक क्षति :– दुकान किरायादारों से दुकानों का किराया विलम्ब से जमा किये जाने पर देय विलम्ब शुल्क न लिए जाने से रू0 85,850=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–15

(ग) अधिक/अनियमित भुगतान :– (1) श्री पी0एस0 गुप्ता पूर्व अधिशासी अधिकारी को उपार्जित अवकाश नकदीकरण के रूप में रू0 51,808=00 का अधिक एवं अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6

(2) निर्माण कार्यो का मूल्यांकन अवर अभियन्ता की माप के आधार पर किया जाना चाहिए था किन्तु संस्था द्वारा निर्माण कार्य की माप अवर अभियन्ता के स्थान पर वर्क एजेन्ट से कराकर रू0 6,39,255=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5

(3) श्री नीरज कुमार ठेकेदार को रू0 34720=00 का अनियमित एवं परिहार्य व्यय किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–2

नगर पालिका परिषद जसपुर वर्ष 2001–2002 से 2002–2003 तक :–

(क) अनियमित भुगतान :– शासनादेश संख्या 4649/9–1–90–116 (सा) /98 दिनांक 6.11.1998 द्वारा दैनिक वेतन /संहत वेतन वर्क चार्ज एवं मानदेय आदि पर अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध था तथापि पालिका द्वारा संविदा आधार पर अनेक कर्मचारियों की नियुक्ति कर सम्परीक्षा माहों में रू0 1,13,145=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)(1)

(ख) अधिक भुगतान :– अनियमित वेतन निर्धारण के फलस्वरूप श्री रवि, लेखाकार को रू0 7,640=00 वेतन एवं भत्तों के रूप में अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ख)(3)

(ग) राजस्व क्षति :– पालिका द्वारा निर्माण कार्यो आदि ठेकों के अनुबन्ध में निर्धारित दर से कम मूल्य के स्टाम्प पत्रों का प्रयोग किया गया था। इससे रू0 3,11,400=00 राजस्व की क्षति हुई थी।.

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ग)(1)

नगर पालिका परिषद बाजपुर वर्ष 2001–2002से 2002–2003 तक :–

(क) अनानुमोदित व्यय :– विभिन्न मदों में रू0 622059=00 धनराशि स्वीकृत बजट से अधिक व्यय किये जाने के कारण अनानुमोदित रही।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1

(ख) परिहार्य व्यय :– (1) जनगणना कार्य तथा स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी सम्बन्धी कार्य पालिका निधि से रू0 34,743=00 का परिहार्य व्यय किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–3

(2) नव निर्वाचित नगर पालिका परिषद के शपथ ग्रहण समारोह दिनांक 15.2.2003 पर रू0 10491=00 का अनियमित व्यय हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5

(ग) राजस्व क्षति :– विभिन्न ठेकों के अनुबन्धों में निर्धारित दर से कम मूल्य के स्टाम्प प्रपत्र प्रयुक्त किये जाने से रू0 1,37,600=00 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–12

नगर पालिका परिषद रूद्रपुर वर्ष 2000–2001 से 2001–2002 तक :–

(क) अनियमित व्यय :– (1) शताब्दी स्तूप निर्माण कार्य में रू0 1,99,722=70 का अनियमित एवं परिहार्य व्यय किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–19

(2) कर्मचारियों के वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण किये जाने से रू0 1,25,491=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4

(ख) आर्थिक क्षति :– अनियमित एवं शासकीय गजट के प्राविधानों के विपरीत गृहकर में छूट दिये जाने से रू0 72,194=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–17 एवं 18

नगर पालिका परिषद विकासनगर वर्ष 2002–2003 :–

(क) अनियमित भुगतान :– अधिशासी अधिकारी को वर्ष 1995 से 1998 के मध्य दर्शायी गयी यात्राओं का यात्रा भत्ता रू0 7,509=00 का भुगतान देयक के कालातीत होने के उपरान्त भी किया जाना अनियमित था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(1)

(2) अधिशासी अधिकारी को पूर्व के तैनाती स्थलों की कार्यावधि हेतु बिना कार्यकाल का सत्यापन एवं सम्बन्धित संस्था से मॉग किये बिना रू0 38,712=00 वेतन के रूप में भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(ii)

(3) श्री संजीव मल्होत्रा अधिशासी अधिकारी को मकान किराये के रूप में रू0 2,700=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(।)

नगर पालिका परिषद ऋषिकेश वर्ष 2002–2003 :–

(क) राजस्व क्षति :– पालिका द्वारा 71 सफाई कर्मचारी संविदा पर रखे गये थे। निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पत्र पर अनुबन्ध न कराये जाने से रू0 42,600=00 राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(।)

(ख) अनियमित भुगतान :– शासनादेश संख्या 2694/9–1–97–174सा/96 दिनांक 15.9.1997 के अनुसार मात्र 2 माह तक सफाई कर्मचारी संविदा पर रखे जाने चाहिए थे। इसके विपरीत 71 कर्मचारी वर्ष पर्यन्त कार्यरत दर्शाये गये थे।इससे रू0 15,00,000=00 संविदा वेतन के रूप में अनियमित एवं सन्दर्भित शासनादेश के विपरीत भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(।।)

(2) उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश में मात्र सफाई कर्मचारी ही संविदा पर रखे जाने थे। इसके विपरीत दो कर्मचारी बिल वितरण कार्य हेतु भी संविदा पर रख लिये गये थे। इससे उन्हें रू0 8,584=00 का उक्त शासनादेश के प्राविधानों के विपरीत भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(।।।)

नगर पालिका परिषद हरिद्वार वर्ष 2002–2003 :–

(क) आर्थिक क्षति :– (1) पालिका द्वारा दायर किये गये वादों पर न्यायालय (2) (सी0जे0एम0) द्वारा पालिका के पक्ष में निर्णय देते हुए विपक्षी पर रू0 17,400=00 जुर्माना लगाते हुए धनराशि कोषागार में जमा कराया गया था। शा0सं0 6352/वी0–11–676/176/74 दिनांक 3.3.1997 के अनुसार कोषागार में जमा उक्त धनराशि आहरित कर पालिका कोष में जमा किया जाना चाहिए था। ऐसा न किये जाने से रू0 17,400=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1 (1)

(2) अधिसूचना दिनांक 8.1.1997 के अनुसार तहबाजारी शुल्क रू0 5=00 प्रति वर्ग मीटर की दर से वसूली का प्राविधान था। पालिका द्वारा मात्र रू0 2=00 प्रति वर्गमीटर की दर से तहबाजारी की वसूली की जा रही थी। इससे पालिका को रू0 18,91,236=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(8)

(3) मुर्दा मवेशी ठेका हेतु पूर्व में श्री मुनब्बर अली की बोली रू0 1,71,000=00 उच्चतम थी। इसे स्वीकृत न कर पुनः बोली करायी गयी। दिनांक 3.8.2002 को पुनर्नीलामी में श्री सलीम अहमद को रू0 1,30,500=00 में ठेका स्वीकृत कर दिया गया। इससे पालिका को रू0 40,500=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1 (6)

(ख) अनियमित भुगतान :– (1) पालिका द्वारा बिना पद सृजन कराये एवं एतदर्थ शासन की स्वीकृति कराये बिना संविदा पर अनेक कर्मचारी नियोजित किये गये थे। उन्हे वेतन के रूप में रू0 7,90,700=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(2)

(2) शासनादेश के विपरीत दैनिक वेतन पर कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी थी। इस पर उप सम्परीक्षा माहों में वेतन के रूप में रू0 1,37,608=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(3)

<u>(ग) राजस्व क्षति :–</u> (1) ठेका फूलपरोसी स्थल सं0 3 के अनुबन्ध में निर्धारित दर से कम मूल्य के स्टाम्प पत्र प्रयुक्त किये गये थे। इससे रू0 29,000=00 की राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(5)

(2) श्री सलीम अहमद को मुर्दा मवेशी वर्ष, 2003 का ठेका रू0 1,30,500=00 में दिया गया था। अनुबन्ध हेतु कम मूल्य के स्टाम्प पत्र प्रयोग किये जाने के कारण इससे रू0 3,650=00 की राजस्व क्षांति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(6)

<u>नगर पालिका परिषद रूड़की (हरिद्वार) वर्ष 2002–2003 :–</u>

<u>(क) आर्थिक क्षति :–</u> (1) शासकीय गजट दिनांक 25.12.1999 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 25–1–सा0प्रशा0/न0पा0प0/दिनांक 29.9.1999 द्वारा नगर पालिका परिषद रूड़की की पशुवध शुल्क की दर रू0 25=00 प्रति पशु निर्धारित थी। पालिका द्वारा उक्त दर से कम दर पर वध कर शुल्क की वसूली की गई थी। इस कारण रू0 1,33,332=00 की आय कम होने से पालिका को आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1 (क)

(2) श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री मामचन्द्र शर्मा तहबाजारी ठेकेदार द्वारा दिनांक 01.4.2002 से 26.10.2002 तक की अवधि की तहबाजारी अवशेष की धनराशि रू0 37,350=00 तथा श्री राजकुमार एवं श्री आनन्द सिंह ठेकेदारों द्वारा दिनांक 25.12.2002 से 31.3.2003 तक की तहबाजारी अवशेष की धनराशि रू0 63,200=00 कुल रू0 1,00,550=00 जमा नही किये जाने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1 (ग)

(ख) अनियमित भुगतान :– अतिकाल भत्ते के रूप में जलकल विभाग के कर्मचारियों को रू0 30,476=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1 (ड.)

नगर पालिका परिषद मंगलौर (हरिद्वार) वर्ष 2002–2003 :–

(क) आर्थिक क्षति :– अध्यक्ष एवं सभासदों के निर्वाचन पर हुए व्यय रू0 16,568=00 की प्रतिपूर्ति जिला पंचस्थानी निर्वाचन कार्यालय से नही करायी गयी थी। इससे उक्त की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1 (2)

(ख) राजस्व क्षति :– श्री नसीम अहमद पुत्र श्री ईस्माइल मंगलौर के नाम दिनांक 12.3.2003 को सम्पन्न ठेका मुर्दा मवेशी के अनुबन्ध हेतु स्टाम्प पेपर प्रयुक्त नही किये जाने से रू0 3,875=00 राजस्व शुल्क की क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1 (4)

नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ वर्ष 2001–2002 :–

(क) अधिक/अनियमित भुगतान :– (1) सीमान्त भत्ते के रूप में निकाय के कर्मचारियों को रू0 1,96,875=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1

(2) विद्युत बिलों की अदायगी में रू0 653=56 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4

(ख) आर्थिक क्षति :– (1) धारचूला रोड स्थित 08 दुकानों से फरवरी, 2000 से मार्च, 2002 तक वसूली नही की गयी थी। इससे रू0 2,08,000=00 आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5

(2) श्री सत्यप्रकाश सत्संगी द्वारा लाशघर रोड में पालिका द्वारा रू0 27,500=00 की लागत से निर्मित फड़ की धनराशि मात्र रू0 16,000=00 जमा किये थे। निर्माण की राशि में से रू0 11,500=00 जमा नही किये थे तथा 22 जून, 2000 से 31.3.2002 तक की तहबाजारी रू0 8705=00 जमा नही की थी। इस प्रकार रू0 20,205=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–3

नगर पालिका परिषद रामनगर वर्ष 2001–2002 :–

आर्थिक क्षति :– (1) पालिका के पूर्व कर्मचारी जो स्थानान्तरित अथवा अन्यथा पालिका सेवा से कार्यमुक्त हो चुके थे, से अस्थाई अग्रिम रू0 26,864=00 की वसूली नही की गयी थी। इससे पालिका को उक्त राशि की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1

(2) लाइसेन्सों का नवीनीकरण न कराये जाने से रू0 42,380=00 एवं कम दर से लाइसेन्स शुल्क की वसूली किये जाने से रू0 13,500=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)

(ख) राजस्व क्षति :– कम मूल्य के स्टाम्प पत्रों का प्रयोग किये जाने से रू0 2,11,380/- की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1 (ग)

नगर पालिका परिषद टिहरी गढ़वाल वर्ष 2002–2003 :–

अनियमित भुगतान :– शा0सं0 2425/9–1–86 दिनांक 3.9.1999 एवं शा0सं0 4649/9–1–98–116(सा)/98 दिनांक 6.11.1998 के विपरीत दैनिक वेतन पर कर्मचारी नियोजित कर उनके वेतनादि पर रू0 15,54,900=00 अनियमित व्यय किये गये थे।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(ड.)

नगर पालिका परिषद उत्तरकाशी वर्ष 2002–2003 :–

(क) अनियमित भुगतान :– (1) शा0सं0 1803/कार्मिक –2/2002 दिनांक 6.2.2003 एवं शा0सं0 4649/9–1–98–116(सा)/98 दिनांक 6.11.1998 के विपरीत दैनिक वेतन पर कर्मचारी तैनात करने से उनके वेतन पर रू0 3,71,225=00 का अनियमित व्यय हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5(i)

(2) एक वर्ष से कम सेवा होने पर कार्मिकों को बोनस देय नही था। तथापि पालिका द्वारा एक वर्ष से कम सेवा वाले 06 कर्मचारियों को रू0 2,467=00 प्रति कर्मचारी कुल रू0 14,802=00 बोनस का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5(ii)

(3) श्री धर्मेन्द्र भण्डारी ठेकेदार को वार्ड संख्या 3/8 पुल के निर्माण कार्य में त्रुटिपूर्ण गणना किये जाने से रू0 3,508=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)(1)

(ख) आर्थिक क्षति :– शा0सं0 161–सी0सएम0–नौ–997–23( )/ज/97 दिनांक 16.12.1997 के प्राविधानों के विपरीत होटल लाइसेन्स शुल्क कम दर से वसूल किये जाने से रू0 18,850=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ग)

नगर पालिका परिषद श्रीनगर, गढ़वाल वर्ष 2002–2003 :–

अधिष्ठान सम्बन्धी अधिक भुगतान :– (1) कुमारी रंजना नेगी लिपिक को अप्रैल, 2002 से बिना पद के नियुक्त किये जाने से वेतन रू0 14,061=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(क)

(2) बिना पद के संविदा आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर सम्परीक्षा हेतु चयनित माहों में रू0 37,635=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(ङ.)

नगर पालिका परिषद जोशीमठ वर्ष 2002–2003 :–

(क) अनियमित भुगतान :– शासनादेश 4649/9–11(ख)98 दिनांक 06.11.1998 के प्राविधानों के विपरीत दैनिक /संविदा आदि के रूप में कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने से रू0 86,081=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ख)

(ख) आर्थिक क्षति :– लाइसेन्सों का नवीनीकरण नही कराने जाने से पालिका परिषद को रू0 6,700=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)

नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा वर्ष 2002–2003 :–

(क) आर्थिक क्षति :– (1) संगठित नगर विकास योजनान्तर्गत प्राप्त ऋण से निर्मित दुकानों के किराये मे सम्बन्धित किरायेदारों को बिना किसी प्राविधान के रू0 19,298=50 की किराये में छूट दिये जाने से पालिका को आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(क)

(2) शासनादेश सं0 161 सी0एम0/नौ–9–97–23 ज/97 दिनांक 16 दिसम्बर, 1997 में निर्धारित दर से लाइसेन्स शुल्क की वसूली सम्बन्धित व्यवसायियों से नही कराये जाने से रू0 93,300=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(स)

(3) वर्ष 1991 से 1993 तक अध्यक्ष तथा सदस्यों को बिना किसी प्राविधान के रू0 34,300=00 के अग्रिम स्वीकृत थे जिनकी वसूली अथवा समायोजन नही होने से पालिका को उक्त की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(य)

(4) अधिशासी अधिकारी द्वारा पालिका वाहन व्यक्तिगत प्रयोजन हेतु प्रयुक्त किये जाने पर देय धनराशि पालिका निधि में जमा नही किये जाने से रू0 1508=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ल)

(ख) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित भुगतान :– शासनादेश दिनांक 06 दिसम्बर, 1991 द्वारा दैनिक वेतन पर नियुक्तियों को प्रतिबन्धित किया गया था। तथापि पालिका द्वारा दैनिक वेतन पर कर्मचारियों को नियोजित कर आलोच्य सम्परीक्षा माहों में रू0 125934=50 का भुगतान किया गया था जो शासनादेश के प्राविधानों के विपरीत था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(ब)

(2) अनियमित रूप से सलैक्शन ग्रेड की स्वीकृति किये जाने से श्री के0एन0 पाण्डेय ड्राफ्ट मैन को रू0 769=00, श्री चन्दन सिंह मेर चपरासी को रू0 2,816=00, श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी स0लि0 को रू0 5,454=00, श्री हरीश विष्ट चपरासी को रू0 1,168=00 कुल रू0 9,225=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(व)

नगर पालिका परिषद बागेश्वर वर्ष 2002–2003 :–

(क) आर्थिक क्षति :– गतवर्ष के कतिपय लाइसेन्स धारक व्यवसायियों के लाइसेन्सों का नवीनीकरण नही कराये जाने से लाइसेन्स शुल्क के रूप में प्राप्य रू0 3,289=00 की आय कम होने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(ब)

(ख) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित भुगतान :– शासनादेश दिनांक 06 दिसम्बर, 1991 में निहित प्राविधानों के विपरीत दैनिक वेतन पर कर्मचारियों को नियोजित किया गया था। सम्परीक्षा माहों में इनके वेतन आदि पर रू0 40,844=00 का भुगतान उक्त शासनादेश के प्रतिकूल था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(अ)

नगर पालिका परिषद दुगड्डा वर्ष 2002–2003 :–

(क) अनियमित भुगतान :– (1) पालिका में अधिशासी अधिकारी के लिए आवास निर्मित था। श्री के0 आर0 टम्टा एवं श्री दिलीप कुमार कपूर अधिशासी अधिकारियों को क्रमशः रू0 813=00 एव रू0 6,808=00 कुल रू0 7,221=00 मकान किराया भत्ता के रूप में अनियमित रूप से भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(क)

(2) अधिशासी अधिकारी के आवास के विद्युत बिलों का भुगतान पालिका निधि से किया गया था। इससे रू0 10,943=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(ग)

(3) अधिशासी अधिकारी के निवास के टेलीफोन बिल का भुगतान सम्बन्धित काल विभागीय होने की पुष्टि कराये बिना पालिका निधि से कराये जाने से रू0 630=00 का भुगतान नियमानुकूल नही था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(ख)

(ख) आर्थिक क्षति :– भवन किराये की वसूली न किये जाने से रू0 13,424=50 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6

(ग) राजस्व क्षति :– ठेकेदारों के बिलों से आयकर हेतु रू0 5,477=06 एवं बिक्रीकर हेतु रू0 56,950=07 की कटौती की गयी थी। इसे निर्धारित शीर्षक में जमा नही किया गया था। इससे राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–9

नगर पालिका परिषद नैनीताल वर्ष 2002–2003 :–

(क) आर्थिक क्षति :–(1) डी0एस0ए0 नैनीताल से पार्किंग स्थल की राशि रू0 5,18,292/- की वसूली न किये जाने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(क)

(2) पालिका आवासों में आवासित कर्मचारियों से मकान किराया की कटौती नही की गयी थी। इससे पालिका को रू0 56,676=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6(क)

(3) बिना किसी प्राविधान एवं शासन की स्वीकृति के वेतन वितरण हेतु बैंक से ऋण लिया गया था तथा ब्याज के रूप में रू0 1,51,751=00 बैंक को देने पड़े थे। पालिका को उक्त की क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(ख)

(4) लाजिंग हाउस के लाइसेन्स आलोच्य अवधि में नही बनाये गये जाने से रू0 3,675=00 की लाइसेन्स शुल्क की आय कम होने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1 (1)(2)(3)(4)(5)

(5) पालिका द्वारा रू0 5,78,999=00 कर माफ किये जाने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ट)

(6) कर्मचारियों की आर0डी0 की धनराशि विलम्ब से जमा किये जाने से पालिका निधि से विलम्ब शुल्क वहन किये जाने से रू0 509=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(घ)

(ग) अनियमित भुगतान :– (1) शासन की स्वीकृति के बिना कर्मचारी नियुक्त किये जाने से रू0 25,000=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5

(2) विवादित घोड़ा स्टैण्ड स्थल पर स्थल विकास पर व्यय रू0 77,866=00 तथा लीज प्रीमियम रू0 2,64,312=00 कुल रू0 3,42,178=00 का अनियमित व्यय किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(क)

(3) झील विकास प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत कराये बिना विधायक निधि से रू0 90,201=00 का निर्माण कार्य कराकर अनियमित व्यय किया गया था जिसमें रू0 20,981=00 मस्टररोल बिना माप के सम्मिलित थे।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–9(ख)(1)(2)

नगर पंचायतें

नगर पंचायत महुआ डाबरा वर्ष 2001–2002 से 2002–2003 :–

व्यपहरण :– (1) नगर पंचायत द्वारा वेतन वितरण हेतु आहरित धनराशि में से रू0 8,098=00 के वितरण की पुष्टि हेतु प्राप्ति रसीद नही ली गयी थी। अतः उक्त धनराशि रू0 8096=00 का व्यपहरण हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(2)

(2) रसीद पुस्तिका सं0 16 पर्ण सं0 58 से 71 तक दिनांक 9.7.2001 से 3.8.2001 तक प्रयुक्त की गई थी। इनसे रू0 4,010=00 की वसूली की गयी थी। इन्हें पंचायत निधि में जमा नही किये जाने से रू0 4,010=00 का व्यपहरण हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)(1)

नगर पंचायत दिनेशपुर वर्ष 2001–2002 से 2002–2003 :–

राजस्व क्षति :– निर्माण कार्यो के ठेके में स्टाम्प पत्र कम प्रयुक्त किये जाने से रू0 4,825=00 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ख)(1)

नगर पंचायत केलाखेड़ा वर्ष 2001–2002 से 2002–2003 :–

(क) अनियमित/अधिक भुगतान :– (1) पंचायत के कर्मचारियों को यात्रा भत्ता के रूप में रू0 3,350=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–3

(2) शा0सं0 4649/9–1–90–116(सा)/98 दिनांक 6.11.1998 के निर्देशों के विपरीत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पारिश्रमिक के रूप में रू0 88,172=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–8

(3) विधायक निधि से प्राप्त धनराशि से सम्पादित निर्माण कार्यो में रू0 9,667/- का अधिक एवं अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–16

(4) राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से सम्पादित निर्माण कार्यो में ठेकेदार को रू0 5,415=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–18

(ख) राजस्व क्षति :– निर्माण कार्यो के अनुबन्ध में निर्धारित धनराशि से कम मूल्य के स्टाम्प प्रपत्र प्रयुक्त किये जाने से रू0 34,476=00 राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–10

(ग) आर्थिक क्षति :– (1) कतिपय प्रकरणों में निर्धारित दर से कम दर पर गृहकर निर्धारित किये जाने से रू0 62,850=00 की आय कम होने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1

(2) पानी टैंकर की बुकिंग हेतु निर्धारित दर से शुल्क न लिये जाने से रू0 6,450=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–12

नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी वर्ष 2001–2002 से 2002–2003 :–

(क) अधिक भुगतान :– श्री रामपाल सिंह को वाहन किराये के रूप में रू0 6,100=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4

राजस्व क्षति :– ठेकेदारों के साथ अनुबन्ध हेतु निर्धारित दरसे कम मूल्य के स्टाम्प प्रपत्र प्रयुक्त किये जाने से रू0 1,02,167=00 की राजस्व क्षति हुई थी।

नगर पंचायत महुआ खेड़ा गंज वर्ष 2001–2002 से 2002–2003 :–

राजस्व क्षति :– निर्माण कार्यो के अनुबन्धों में निर्धारित दर से कम मूल्य के स्टाम्प प्रपत्र का प्रयोग किये जाने से रू0 35,230=00 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4

नगर पंचायत हर्बटपुर वर्ष 2002–2003 :–

राजस्व क्षति :– श्री इमरान ठेकेदार को साप्ताहिक पैठ को ठेका रू0 3,06,000=00 में स्वीकृत किया गया था। इसका अनुबन्ध रू0 1,912=50 मूल्य के स्टाम्प पत्र में कराया

जाना चाहिये था। अनुबन्ध हेतु कोई स्टाम्प पत्र प्रयुक्त नही थे। इस प्रकार रू0 1,912=50 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)(4)

नगर पंचायत कीर्तिनगर वर्ष 2002–2003 :–

अनियमित भुगतान :– शा0सं0 4649/9–1–98–116(सा)/98 दिनांक 6.11.1998 के विपरीत कर्मचारियों की दैनिक वेतन पर नियुक्ति कर रू0 14,400=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)(2)

नगर पंचायत मुनि की रेती वर्ष 2002–2003 :–

अनियमित भुगतान :– शा0सं0 4649/9–1–98–116(सा)/98 दिनांक 6.11.1998 के प्राविधान के विपरीत दैनिक वेतन पर कर्मचारी नियोजित कर रू0 23,800=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)(2)

नगर पंचायत देवप्रयाग वर्ष 2002–2003 :–

अनियमित भुगतान :– शा0सं0 4649/9–1–98–116(सा)/98 दिनांक 6.11. 1998 के विपरीत संविदा पर 06 कर्मचारी नियोजित किये जाने से पारिश्रमिक के रूप में रू0 1,08,000=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5(5)

नगर पंचायत चम्बा वर्ष 2002–2003 :– शा0सं0 4649/9–1–98– 116(सा) /98 दिनांक 6.11.1998 के प्राविधानों के विपरीत दैनिक वेतन पर 12 कर्मचारी नियोजित किये जाने से रू0 2,64,357=00 का अनियमित व्यय हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)(2)

नगर पंचायत बडकोट वर्ष 2002–2003 :–

अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित भुगतान :– (1) 02 कर्मचारियों की नियुक्ति बिना पद सृजन के पूर्व में की गई थी। आलोच्य अवधि में इनके वेतनादि पर रू0 1,29,004=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)(2)

(2) शासनादेशों के विपरीत 09 कर्मचारी दैनिक/संविदा आधार पर नियुक्त करने से आलोच्य अवधि में रू0 1,88,280=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)(3)

नगर पंचायत गंगोत्री वर्ष 2002–2003 :–

अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित भुगतान :– शा0सं0 4649/9–1–98–116(सा)/98 दिनांक 6.11.1998 के विपरीत 07 कर्मचारी सीजन काल में दैनिक वेतन पर नियोजित किये जाने से इनके वेतनादि पर रू0 63,000=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)

नगर पंचायत द्वाराहाट वर्ष 2002–2003 :–

(क) अनियमित भुगतान :– (1) नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी का प्रभार श्री बी0डी0 जोशी अधिशासी अधिकारी अल्मोड़ा में निहित था। उक्त अवधि में श्री जोशी द्वारा अपने यात्रा भत्ता की तरह से ही अपने साथ आये नगर पालिका अल्मोड़ा के

एक चपरासी को रू0 188=20 तथा श्री करम सिंह वाहन चालक को रू0 966=00 यात्रा भत्ते के रूप में भुगतान किये गये थे। उक्त कर्मचारी मूलतः नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा में कार्यरत थे। अतः संस्था का कार्य किये बिना इन कर्मचारियों को भुगतानित उक्त यात्रा भत्ता रू0 1,154=00 का भुगतान अनियमित था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)

(2) श्रीमती कंचन शाह अध्यक्ष को दिनांक 11 एवं 12 फरवरी, 2004 को बागेश्वर एवं अल्मोड़ा की निजी यात्रा हेतु पालिका निधि से रू0 2,169=00 पैट्रोल क्रय के लिए भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(स)

<u>(ख) आर्थिक क्षति :–</u> श्री पंकज मठपाल ठेकेदार तहबाजारी वर्ष 2001–2002 से ठेके की राशि रू0 1,10,600=00 में से मात्र रू0 70,000=00 की वसूली की गयी थी। रू0 40,600=00 की वसूली नही किये जाने से संस्था को आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–9

<u>नगर पंचायत रूद्रप्रयाग वर्ष 2001–2002 :–</u>

<u>अधिक भुगतान :–</u> (1) कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वेतनबृद्धि स्वीकृत किये जाने से रू0 6,017=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–8

(2) पालिका कर्मियों को सीमान्त भत्ते के रूप में रू0 2,910=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–11

नगर पंचायत ऊखीमठ वर्ष 2000–2001 से 2001–2002 :–

(क) अधिक/अनियमित भुगतान :– (1) श्री डी0सी0 पन्त अधिशासी अधिकारी को नगदीकरण में सीमान्त भत्ता के रूप में रू0 250=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4

(2) शासनादेश 4649/9–1–98–116 सा/98 दिनांक 6.11.1998 के प्राविधानों के विपरीत दैनिक वेतन पर कर्मचारियों की नियुक्ति करने से माह नवम्बर, 2001 में रू0 5,348=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–(ख)

(ख) आर्थिक क्षति :– श्री रणजीत सिंह से घोड़ा खच्चर लाइसेन्स शुल्क रू0 10,000=00 की वसूली नही किये जाने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ख)

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

जनता उच्चतर मा0वि0 ककोड़ा खाल वर्ष 1999–2000 से 2001–2002:

(क) अनियमित व्यय :– बिना उद्देश्य के रू0 1,000=00 संस्था निधि से आहरित कर व्यय किया जाना अनियमित था।

भाग–2(ब) प्रस्तर–1(क)

(ख) आर्थिक क्षति :– प्रगति पत्र शुल्क की राशि रू0 114=00 सम्बन्धित निधि में जमा नही किये जाने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–2(ब) प्रस्तर–1(ख)

संस्कृत पाठशालायें

श्री बद्रीश संस्कृत पाठशाला डिम्बर चमोली वर्ष 2000–2001 से 2001–2002 :–

अधिक भुगतान :– श्री राम सिंह मेट को मस्टरौल के अनुसार पारिश्रमिक के रूप में रू0 1,467=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–2(ब) प्रस्तर–1(क)

पालीटेक्निक विद्यालय

के0 एल0 पालीटैक्निक, रूड़की वर्ष 2002–2003 :–

अनियमित भुगतान :– वेतन एवं अन्य व्ययों हेतु प्राप्त अनुदान रू0 3,94,000=00 में से रू0 22,444=00 का यात्रा भत्ता हेतु अनियमित व्यय किया गया था।

भाग–2(अ) प्रस्तर–1

महाविद्यालय

के0एल0डी0ए0वी0 डिग्री कालेज रूड़की वर्ष 2002–2003 :–

(क) परिहार्य व्यय :– कालेज में कम्प्यूटर न होते हुए भी मै0 शक्ति साफ्टवेयर को कालेज लाइब्रेरी हेतु साफ्टवेयर तैयार किये जाने हेतु रू0 4,000=00 का भुगतान किया गया था। संस्था के पास कम्प्यूटर न होने की स्थिति में यह व्यय परिहार्य व्यय था।

भाग–2(अ) प्रस्तर–1(क)

(ख) व्यपहरण :– अनावर्तक अनुदान से संचालित संस्कृत स्पीकिंग सेन्टर के अन्तर्गत 62 विद्यार्थी पंजीकृत थे। उपस्थिति पंजिका में छात्रों के नाम के सम्मुख रू0 50=00 प्रति छात्र शुल्क प्राप्ति अंकित था किन्तु 62 छात्रों से प्राप्त रू0 3,100=00 को जमा नहीं किये जाने से व्यपहरण किया गया था।

भाग–2(ब) प्रस्तर–1(ग)

उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद

उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद हल्द्वानी वर्ष 2000–2001 से 2002–2003 :–

(क) अधिक/अनियमित भुगतान :– (1) मै0 वर्धमान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को निर्गत 231 बैग सीमेन्ट के मूल्य रू0 66,990=00 की कटौती फर्म को देय निर्माण कार्य की धनराशि से न किये जाने से कम्पनी को अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–2(अ) प्रस्तर–4(क)

(2) मैदानी क्षेत्र में कराये गये निर्माण कार्यो के भुगतान हेतु निर्माण सामग्री की ढुलान दर अधिक दर से लगाये जाने के फलस्वरूप निर्माण ऐजेन्सियों को रू0 11,81,437/- का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–2(अ) प्रस्तर–4(ख)

(3) मंगलौर मण्डी स्थल में आन्तरिक सड़कों की मरम्मत /डामरीकरण हेतु मै0 के0 एस0 कन्सट्रक्शन कम्पनी को मैक्सफाल्ट परिषद द्वारा निर्गत किया गया था किन्तु 43=16 मी0 टन मैक्सफाल्ट का रू0 8,203=00 प्रति मी0 टन की दर से कन्स्ट्रक्शन कम्पनी से मूल्य की कटौती नही की गयी थी। इससे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को रू0 57,724/- का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–2(अ) प्रस्तर–4(ग)

(4) दो सबमर्सिबल पम्पों की स्थापना हेतु किये गये रू0 3,50,000=00 के भुगतान में मै0 प्रकाश ब्रदर्स मेरठ को कान्ट्रेक्टर प्राफिट के रूप में रू0 27,754=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–2(अ) प्रस्तर–4(घ)(1)

(5) रूड़की मण्डी स्थल विद्युतीकरण के भुगतान में मै0 क्वालिटी इलेक्ट्रिकल्स को कान्ट्रेक्टर प्राफिट के रूप में रू0 19,500=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–2(अ) प्रस्तर–4(घ)(2)

(6) देहरादून मण्डी स्थल में 02 मीटर बाक्स लगाये जाने सम्बन्धी रू0 45,916/ के भुगतान में मै0 क्वालिटी इलेक्ट्रिकल्स को कोटेशन की दरों के अतिरिक्त रू0 4,800=00 कान्ट्रेक्टर प्राफिट के रूप में अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–2(अ) प्रस्तर–4(घ)(3)

(7) शासनादेश संख्या परिवहन विभाग 711/30–4–2000 व 346/95 दिनांक 10 मार्च, 2000 के भाग–तीन में फुल टैक्सी हेतु उल्लिखित दरों से अधिक दरों के कारण मै0 सनी ट्रैवल्स रूड़की को रू0 21,972=50 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–2(अ) प्रस्तर–4(च)

(8) आयुक्त आवास हेतु पानी की टंकी एवं टुल्लू पम्प हेतु मै0 नैनी इन्जीनियरिंग वर्क्स हल्द्वानी को रू0 22,500=00 का भुगतान किया गया था। आयुक्त आवास हेतु उक्त व्यय परिषद निधि से अनियमित था।

भाग–2(अ) प्रस्तर–4(छ)

(9) वित्त सामान्य अनुभाग–। शा0सं0जी0–।–786/दस–96–241/96 दिनांक 27 फरवरी, 1997 के विपरीत परिषद निधि से मण्डी समितियों के 04 कर्मचारियों को मानदेय के रूप में रू0 7,000=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–2(अ) प्रस्तर–4(ज)

(10) श्री नन्दन सिंह नेगी को शा0सं0 वित्त सामान्य अनुभाग–4 सा–4–395/दस– 99 – 600/88 दिनांक 23.9.1988 के प्राविधानों के विपरीत सिंगल सीट टैक्सी के

स्थान पर फुल टैक्सी अनुमन्य कराये जाने से रू0 18,127=00 टैक्सी भाड़े के रूप में उक्त शासनादेश के प्राविधानों से अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–2(अ) प्रस्तर–4(ड)

(11) मै0 विश्वास कन्सट्रक्शन कम्पनी को रामनगर में सम्पर्क मार्ग निर्माण सम्बन्धी रू0 1,96,802=00 का भुगतान दिनांक 7.4.2002 को किया गया था। माप पुस्तिका में गुणवत्ता में कमी पर सहायक अभियन्ता द्वारा संस्तुत रू0 742=00 की कटौती अन्तिम भुगतान से नही किये जाने से रू0 742=00 का भुगतान अनियमित था।

भाग–2(ब) प्रस्तर–1(ज)

(12) श्री नन्दन सिंह नेगी, कम्प्यूटर आपरेटर का लखनऊ से हल्द्वानी स्वंय के अनुरोध पर किया गया था तथापि श्री नेगी को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता रू0 3,943=50 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–2(ब) प्रस्तर–1(ख)

(13) श्री नन्दन सिंह नेगी कम्प्यूटर आपरेटर को सहायक कम्प्यूटर आपरेटर का कार्य सौंपते हुए परिषद/मण्डी समिति के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु आदेशित किया गया था परन्तु बिना किसी औचित्य के बाहरी संस्थाओं को रू0 3,17,750=00 का भुगतान किया गया था। अतः उक्त व्यय अनियमित था।

भाग–2(अ) प्रस्तर–4(झ)

(14) दो बैग सीमेन्ट के मूल्य की कम कटौती किये जाने के फलस्वरूप ठेकेदार को रू0 560=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–2(ब) प्रस्तर–1(स)

<u>(ख) आर्थिक क्षति :–</u> (1) निर्माण एजेन्सियों/ठेकेदारों से मैक्सफाल्ट के खाली ड्रमों के मूल्य की वसूली नही की थी। परिषद को इससे रू0 44,760=00 की आय होनी थी। इससे आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–2(अ) प्रस्तर–4(ड.)

(2) परिषद अंशदान कम प्राप्त किये जाने के फलस्वरूप परिषद को रू0 419219/= की क्षति हुई।

भाग–2(अ) प्रस्तर–6(ग)

(ग) दुर्विनियोग :– (क) मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तरांचल शासन लाइव स्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड देहरादून को गौ संवर्धन हेतु रू0 2,58,936=00 का भुगतान किया गया था। उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 की धारा 26(त) 2(1)(2)(3) में निर्धारित प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों में गौ संवर्धन अथवा इस प्रकार के कार्य सम्मिलित नही है। अतः उक्त व्यय अनियमित था।

भाग–2(अ) प्रस्तर–4(ज)

(ख) मैदानी क्षेत्र के 20 ब्लॉकों के लिए 20 जीरोटिल सीड ड्रिल उपलब्ध कराये जाने हेतु गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को रू0 2,83,600=00 का भुगतान किया गया था। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 में परिषद निधि से व्यय किये जाने वाले प्रयोजनों/विषयों में उक्त प्रकार के व्यय सम्मिलित नही थे। अतः उक्त व्यय अनियमित था।

भाग–2(अ) प्रस्तर–4(ट)

(ग) सहायक कृषि विपणन कार्यालय हल्द्वानी को टेलीफोन हेतु रू0 2,500=00 व डाक टिकट क्रये हेतु रू0 2,500=00 कुल रू0 5,000=00 का भुगतान किया गया था। परिषद निधि से राजकीय कार्यालय को इस प्रकार धनराशि दिया जाना अनियमित था।

भाग–2(अ) प्रस्तर–4(ठ)

(घ) अधिष्ठान सम्बन्धी अधिक/अनियमित भुगतान :– शा0सं0वे0आ0–1–166 / दस–12(एम)95 दिनांक 08 मार्च, 1995 में कर्मचारियों को 08 वर्ष तक एक ही पद पर कार्यरत रहने पर एक वेतनबृद्धि तथा 14 वर्ष की सेवा उपरान्त प्रोन्नत वेतनमान देय था। इसके विपरीत श्री मनोरथ कर्नाटक, निजी सचिव को देय तिथि 01.4.2004 के स्थान पर

दिनांक 01.3.2001 से प्रोन्नत वेतनमान रू0 2200–4000 स्वीकृत किया गया था। इससे श्री कर्नाटक को रू0 54,605=00 का वेतन में अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–2(अ) प्रस्तर–5(ब)

(2) श्री रामसुन्दर सिंह, अवर अभियन्ता की परिषद में प्रतिनियुक्ति को दिनांक 02.3.2001 को 05 वर्ष पूर्ण हो गये थे। 05 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नही था तथापि उक्त अवर अभियन्ता को रू0 1,414=00 पाँच वर्ष की सेवा उपरान्त प्रतिनियुक्ति भत्ता के रूप में देय नही था।

भाग–2(ब) प्रस्तर–1(घ)

(ड.) राजस्व की क्षति :– आयकर, बिक्रीकर की कम कटौती किये जाने के फलस्वरूप रू0 21,949=00 की राजस्व क्षति हुई।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6(ख)

राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल वर्ष 1999–2000 से 2002–2003 तक :–

(क) अनियमित भुगतान :– (1) समन्वयक कार्यालय द्वारा सेवा योजना सामान्य कार्यक्रम मद से शासनादेश सं0 885/रा0से0योजना/मा0स0वि0(2002) दिनांक 5.9.2002 के प्राविधानों के विपरीत रू0 480=00 टेलीफोन किराया का भुगतान किया गया था।

भाग–2(अ) प्रस्तर1(ख)

(2) राजकीय इण्टर कालेज चौखुटिया में शा0सं0 885/रा0से0यो0/मा0स0वि0/8(2002) दिनांक 05.9.2002 के अनुसार जलपान पर निर्धारित व्यय सीमा

6,000=00 के स्थान पर रू0 7,505=00 का व्यय किये जाने से रू0 1,505=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–2(अ) प्रस्तर1(घ)(2)

(3) राजकीय इण्टर कालेज चम्पावत में योजना राशि से शासनादेश के विपरीत अलमारी क्रय पर रू0 2,015=00 का अमान्य व्यय किया गया था।

भाग–2(अ) प्रस्तर (1)(ड.)

(ख) अनानुमोदित व्यय :– राष्ट्रीय सेवा योजना में वर्ष 2000–2001 में सामान्य कार्यक्रम हेतु रू0 2,00,606=00 एवं विशेष कार्यक्रम हेतु रू0 1,96,706=00 का व्यय किया गया था। इस हेतु वर्ष 2000–2001 में कोई अनुदान प्राप्त नही था। वर्ष 1999–2000 के अवशेष से उक्त व्यय शासन की स्वीकृति के बिना किया जाना नियमानुकूल नही था।

भाग–2(अ) प्रस्तर1(क)

बेसिक शिक्षा समितियॉ

बेसिक शिक्षा समिति पिथौरागढ़ वर्ष 2001–2002 :–

(क) दुर्विनियोग :– पूर्व माध्यमिक विद्यालय कामाज्योला क्षेत्र बाराकोट को रू0 15,000=00 एवं रू0 5,000=00 क्रमशः साजसज्जा एवं विज्ञान उपकरण में व्यय हेतु जिला सहकारी बैंक बाराकोट खाता संख्या 324 में जमा दर्शाया गया था। बैंक द्वारा उक्त धनराशि सम्बन्धित विद्यालय के खाते में जमा न कर प्राथमिक विद्यालय कामाज्योला के खाते में जमा कर दिये गये जो प्राथमिक विद्यालय काज्योला के भवन मरम्मत पर व्यय दर्शाये थे। इस प्रकार उक्त राशि का निर्धारित प्रयोजन के विपरीत अन्य प्रयोजन पर व्यय होने से दुर्विनियोग हुआ था।

भाग–2(ब) प्रस्तर–1

(ख) अधिक भुगतान :– (1) श्रीमती लीला देवी सहायक अध्यापिका प्राइमरी पाठशाला गढ़ (पूनाकोट) को चयन वेतनमान देय तिथि 10.4.1988के स्थान पर दिनांक 1.1.1986 से ही चयन वेतनमान स्वीकृत किये जाने से रू0 24,930=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–2(ब) प्रस्तर–4

(2) श्रीमती उषा सहायक अध्यापिका प्राइमरी विद्यालय ढौढा को दिनांक 01.01.1996 से त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किये जाने से रू0 6,290=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–2(ब) प्रस्तर–6

(3) श्रीमती मीरा पन्त प्रधानाध्यापिका प्राइमरी पाठशाला नालीवेल (गंगोलीहाट) को दिनांक 1.1.1996 से त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारित किये जाने से रू0 9,735=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–2(ब) प्रस्तर–7

(4) श्री केशर सिंह कार्की सहायक अध्यापक प्राइमरी पाठशाला ग्वाड़ी, गंगोलीहाट का त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप रू0 750=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–2(ब) प्रस्तर–8

(5) श्री राजेन्द्र भट्ट सहायक अध्यापक प्रा0 पा0 गंगोरा (वेरीनाग) को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप रू0 2,550=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–2(ब) प्रस्तर–10

(6) श्रीमती हीरा डांगी प्रधानाध्यापिका प्राईमरी पाठशाला वेलकोट को रू0 1,125=00 का त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण से अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–2(ब) प्रस्तर–9

कृषि उत्पादन समितियाँ

कृषि उत्पादन मण्डी समिति खटीमा वर्ष 1998–99 :–

आर्थिक क्षति :– (1) उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के विद्युत बिल का भुगतान निर्धारित समय के भीतर नही किये जाने पर रू0 1,321=00 रिबेट का लाभ नही मिल पाने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–2(ब) प्रस्तर–1(1)

(2) दुकानों को किराये पर नहीं दिये जाने से रू0 51,086=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–2(ब) प्रस्तर–1(2)

(3) लाइसेन्सों का नवीनीकरण नही किये जाने से समिति को लाइसेन्स शुल्क रू0 15,250=00 की क्षति हुई थी।

भाग–2(ब) प्रस्तर–1(3)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति रूद्रपुर वर्ष 2002–2003 :–

आर्थिक क्षति :– (1) जिन कर्मचारियों को समिति के आवास आवंटित थे; उनसे आवास किराया की कटौती नही किये जाने से रू0 3,570=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–2(अ) प्रस्तर 4(क)

(2) समिति की निर्मित 110 दुकानों में से 32 दुकानों को किराये पर नही लगाये जाने से रू0 22,963=60 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–2(अ) प्रस्तर 6(क)

(3) मण्डी शुल्क विलम्ब से जमा करने पर देय ब्याज की त्रुटिपूर्ण गणना की गयी थी। इससे रू0 1,881=28 ब्याज कम आगणित किये जाने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–2(अ) प्रस्तर 6(ख)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति किच्छा वर्ष 2001–02 से 2002–03 :–

(क) दुर्विनियोग :– दस सीटर शौचालय के अपूर्ण एवं अनुपयोगी कार्य हेतु रू0 1,44,970=80 का दुर्विनियोग हुआ था।

भाग–2(अ) प्रस्तर 6(ख)

(ख) आर्थिक क्षति :– (1) लाइसेन्स शुल्क प्राप्त न किये जाने से रू0 9,725=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–2(अ) प्रस्तर 6(क)

(2) मण्डी शुल्क की राशि विलम्ब से जमा करने पर देय ब्याज की गणना त्रुटिपूर्ण होने से समिति को रू0 4,453=81 की आय की कम प्राप्ति हुई थी।

भाग–2(अ) प्रस्तर 6(ख)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति बाजपुर वर्ष 2001–02 से 2002–03 :–

(क) अनानुमोदित व्यय :– कतिपय मदों में बजट प्राविधान से रू0 2,73,571=05 का अधिक व्यय हुआ था। इस प्रकार यह अनानुमोदित व्यय था।

भाग–2(अ) प्रस्तर –2

(ख) आर्थिक क्षति :– (1) समिति द्वारा कतिपय आवासों एवं दुकानों का अवशेष किराया को बिना वसूली के मॉग पंजिका में आगामी माहों में अग्रेनीत न किये जाने से रू0 17,383=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–2(अ) प्रस्तर –18

(2) किसान बाजार की आवंटित दुकानों में प्रीमियम की धनराशि विलम्ब से जमा की गयी थी। इस पर देय ब्याज की वसूली नही किये जाने से रू0 5,623=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–2(अ) प्रस्तर –19

कृषि उत्पादन मण्डी समिति काशीपुर वर्ष 2001–02 से 2002–03 :–

(क) अनानुमोदित व्यय :– स्वीकृत बजट सीमा से रू0 41,03,206=00 का अधिक व्यय किया गया था जो सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित नही था।

भाग–2(अ) प्रस्तर –1

(ख) अधिक एवं अनियमित भुगतान :– श्री ओमप्रकाश मण्डी निरीक्षक को प्रशिक्षण हेतु की गई यात्राओं हेतु रू0 11,696=00 का अधिक एवं अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–2(अ) प्रस्तर –2

(ग) राजस्व क्षति :– कैन्टीन नीलामी सम्बन्धी अनुबन्ध में निर्धारित दर से कम स्टाम्प का प्रयोग किये जाने से रू0 3,246=00 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–2(अ) प्रस्तर –8

विश्वविद्यालय

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर वर्ष 2001–02 :–

(क) अधिक/अनियमित/परिहार्य व्यय :– (1) विश्वविद्यालय के विभिन्न अनुभागों/विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नैत्यिक प्रकृति के कार्यो हेतु रू0 15,62,205/- मानदेय/पारिश्रमिक का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ग)

(2) मैसर्स एक्स कम्यूनिकेशन देहरादून को विज्ञापन व्यय हेतु निर्धारित से अधिक दरों से भुगतान के कारण रू0 35,200=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–2(ब) प्रस्तर –1(घ)(2)

(3) शासन द्वारा अनुमोदित दरों से उच्च दरों से पारिश्रमिक दिये जाने के कारण रू0 1,02,733=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–2(ब) प्रस्तर –1(घ)(3)

(4) प्रयोगशाला सहायकों तथा परिचरों को प्रायोगिक परीक्षा में योगदान हेतु शासन द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर भुगतान तथा प्रतिदिन के स्थान पर प्रति पाली/प्रति डयूटी पारिश्रमिक दिये जाने से रू0 1,06,673=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–2(ब) प्रस्तर –1(घ)(4)

(5) अंक पत्र मुद्रण एवं मिलान में शासन द्वारा निर्धारित दरों से उच्च दरों पर भुगतान करने के कारण रू0 166573=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–2(ब) प्रस्तर –1(घ)(5)

(6) अंशकालीन सेवाओं हेतु शीतकालीन कोयला दिये जाने के फलस्वरूप रू0 64,798=00 का अनियमित व्यय हुआ था।

भाग–2(ब) प्रस्तर –1(घ)(7)

(7) आवेदन पत्रों की बिकी, अंकतालिका एवं प्रवेश पत्रों का वितरण आदि कार्य हेतु पारिश्रमिक/मानदेय का रू0 7,26,542=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(घ) (8)

(8) बी0एड0 प्रवेश निधि से विश्वविद्यालय शिक्षणेत्तर कर्मचारी महासंघ के अधिवेशन दिनांक 11 जून, 2001 पर रू0 54,324=00 का अनियमित व्यय किया गया था।

भाग–2(ब) प्रस्तर –1(घ)(9)

(9) यात्रा भत्ता का रू0 27,567=00 का अधिक एवं अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–2(ब) प्रस्तर –1(घ)(10)

(10) विश्वविद्यालय के वैयक्तिक/निजी सहायकों को प्रोत्साहन भत्ते के रूप में रू0 93,404=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–2(ब) प्रस्तर –1(च)(1)

<u>(ख) अनानुमोदित व्यय :–</u> वर्ष 1999–2000 में आयोजनागत पक्ष के वेतन मद में बचत से वर्ष 2001–2002 में बिना शासन की अनुमति से रू0 32,00,000=00 का अनानुमोदित व्यय किया गया था।

भाग–2(ब) प्रस्तर –1(च)(5)

(2) वर्ष 2001–2002 में शासन द्वारा निर्धारित व्यय सीमा से रू0 3,08,99,469/- विभिन्न मदों में अधिक व्यय किया गया था जो कि अनानुमोदित व्यय था।

भाग–2(ब) प्रस्तर –1(झ)

<u>(ग) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय :–</u> (1) नियमित नियुक्ति की तिथि से पूर्व का वेतन भुगतान करने से विश्वविद्यालय को रू0 1,11,259=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–2(ब) प्रस्तर –1(च)(6)

(3) प्रो0 रंजीत सिंह प्रवक्ता (बी0फर्मा) को अनियमित रूप से चार अग्रिम वेतन बृद्धियॉ दिये जाने से रू0 43,217=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–2(ब) प्रस्तर –1(च)(7)

<u>(घ) आर्थिक क्षति :–</u> स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों का निर्धारित 40 प्रतिशत अंश मुख्य खाते को हस्तान्तरित नही किये जाने से रू0 2,26,972=00 कम प्राप्त हुआ जिस कारण घाटे की पूर्ति में शासन से इस सीमा तक अधिक अनुदान प्राप्त किया गया था।

भाग–2(ब) प्रस्तर –1(छ)(1)

(2) वर्ष 2001–2002 में शासन द्वारा विभिन्न मदों में निर्धारित व्यय सीमा से रू0 30899469=00 अधिक व्यय किया गया था।

भाग–2(ब) प्रस्तर –1(झ)

(ड़) असमायोजित अग्रिम :– दिनांक 31.3.2002 को पूर्व में स्वीकृत अग्रिमों की धनराशि रू0 1,41,61,067=16 असमायोजित थी।

भाग–2(ब) प्रस्तर –8(1)

कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल वर्ष 2001–02 से 2002–03 :–

(क) व्यपहरण :– संघटक महाविद्यालय अल्मोड़ा की वर्ष 2001–2002 के शुल्क की धनराशि रू0 16,180=00 तथा वर्ष 2002–2003 की शुल्क की धनराशि रू0 19,314=00 महाविद्यालय निधि में जमा न कर व्यपहरण कर ली गयी थी।

भाग–2(अ) प्रस्तर –1(क)(ख)

(ख) अनियमित व्यय :– यू0जी0सी0 के पत्रांक एफ0 48–1/97(एस0यू0–2) दिनांक 14.11.1998 से स्वीकृत डेवलपमेन्ट ग्रान्ट से श्री राम सिंह अधिकारी ठेकेदार को परिसर विकास के नाम पर विभिन्न तिथियों में बिना कार्य की प्रगति सुनिश्चित किये रू0 10,00,000=00 का अग्रिम के रूप में अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–2(अ) प्रस्तर –1(ख)

(ग) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें :– (1) बिना पद सृजन कराये अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ के 06 कर्मचारियों के वेतनादि वर्ष 2001–2002 में रू0 5,42,561=00 एवं वर्ष 2002–2003 में रू0 5,54,765=00 का व्यय अनियमित था।

भाग–2(अ) प्रस्तर –3(क)

(2) डा0 एल0एस0 विष्ट हिन्दी डीन को दिनांक 30.7.1997 से दिनांक 6.8.2000 के अवैतनिक अवकाश अवधि में रोकी गयी वेतनबृद्धियों के अवशेष रू0 33,444=00 का भुगतान शासन की स्वीकृति के बिना किया जाना अनियमित था।

भाग–2(अ) प्रस्तर –3(ख)

(3) शासन की पूर्वानुमति के बिना कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध होते हुए भी संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन पर वर्ष 2001–2002 में रू0 5,31,506=00 तथा वर्ष 2002–2003 में रू0 7,96,987=00 व्यय किया जाना अनियमित था।

भाग–2(अ) प्रस्तर –4(ग)

(घ) आर्थिक क्षति :– (1) परीक्षा फार्म की धनराशि रू0 79,309=00 की वसूली नही होने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–2(अ) प्रस्तर –6(क)

(2) परीक्षा आवेदन पत्र नामांकन पन्नों का मूल्य न वसूलने से रू0 7,79,388= की आर्थिक क्षति हुई।

भाग–2(अ) प्रस्तर –6(ख)

(3) विश्वविद्यालय परिसर नैनीताल एवं अल्मोड़ा में अध्ययनरत छात्रों से वर्ष 2001–2002 का शुल्क रू0 3,88,174=00 एवं वर्ष 2002–2003 का शुल्क रू0 3,46,490/= की वसूली नही किये जाने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–2(अ) प्रस्तर –6(ग)

(4) सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रों से क्रीड़ा गतिविधियों के संचालन हेतु रू0 10=00 प्रति छात्र प्रति वर्ष अंशदान विभिन्न कालेजों से वसूल नही करने से रू0 4,65,260=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–2(अ) प्रस्तर –6(घ)

(5) विश्वविद्यालय के आवासों में आवंटियों से सफाई कर एवं बिजली मूल्य की वसूली नही किये जाने से रू0 6,720=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–2(अ) प्रस्तर –1(ड.)(क)

<u>(ड.) अधिक /अनियमित भुगतान :–</u> मै0 मैथाडिस्ट सिस्टम लिमिटेड देहरादून को कम्प्यूटर चेयर क्रय में रेटलिस्ट में अंकित दर से उच्च दर पर भुगतान किये जाने से रू0 4440=00 का अधिक भुगतान किया गया।

भाग–2(अ) प्रस्तर –4(क)

(2) अल्मोड़ा परिसर हेतु मै0 एस0के0 फर्नीचर रामपुर रोड से स्वीकृत कोटेशन से कम माप की सेल्फ क्रय किये जाने से रू0 2,076=00 का अधिक भुगतान किया गया।

भाग–2(अ) प्रस्तर –6(ख)

(3) यू0जी0सी0 से कम्प्यूटर सेन्टर हेतु स्वीकृत राशि रू0 30,00,000=00 के सापेक्ष रू0 32,02,752=00 व्यय किये जाने के कारण रू0 2,02,752=00 अधिक व्यय किया गया था।

भाग–2(अ) प्रस्तर –8(1)

(4) चन्द्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय काशीपुर को वर्ष 2001 की परीक्षा डयूटी में सहायक पर्यवेक्षकों को रू0 1,600=00 पारिश्रमिक का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–2(ब) प्रस्तर –1(क)

(5) ई–कामर्स एवं सेल्स मार्केटिंग मैनेजमेनट में संविदा पर कार्यरत श्री भूपेन्द्र मैसोड़ा एवं श्रीमती पंकज गहलोत को फरवरी, 2003 की अनुपस्थिति अवधि हेतु कमशः रू0 2,321=00 एवं रू0 806=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–2(ब) प्रस्तर –1(ख)(ग)

(6) विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान के समय फर्मो के बिलों से प्राप्य छूट की धनराशि रू0 5,342=00 की कटौती नही करने के फलस्वरूप रू0 5,342=00 का भुगतान अनियमित था।

भाग–2(ब) प्रस्तर –2(च)

(च) अनुदानों के उपभोग सम्बन्धी अनियमिततायें :– प्रोजेक्टों हेतु प्राप्त अनुदान की धनराशि रू0 50,25,000=00 का स्थानान्तरण एल0सी0 खाते को करने पर ही उपभोग दर्शाया गया था जबकि वास्तविक रूप से व्यय धनराशि को ही उपभोग किया जाना दर्शाया जाना चाहिये था।

भाग–2(ब) प्रस्तर –7(घ)

इंजीनियरिंग कालेज

कुमाऊँ इन्जीनियरिंग कालेज द्वाराहाट वर्ष 2001–2002 :–

(क) अधिक/ अनियमित भुगतान :– (1) संस्था के 06 कर्मचारियों को रू0 400=00 प्रति माह की दर से वर्ष में रू0 25,884=00 दोहरा कार्य भत्ता का भुगतान शासन की स्वीकृति के बिना किया जाना अनियमित था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(अ)

(2) राज्य पुनर्गठन आयुक्त कार्यालय लखनऊ में कार्यरत श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत को रू0 2500=00 प्रति माह कुल रू0 30,000=00 का संस्था निधि से अमान्य भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(3)

(ख) अनुदानों के उपभोग सम्बन्धी अनियमिततायें :– छात्रावास हेतु 240 बुडन चेयर मै0 हाईटैक फर्नीचर हल्द्वानी से प्राप्त न्यूनतम कोटेशन रू0 245=00 प्रति कुर्सी की दर से कय न कर मै0 एम0के0 ट्रेडर्स से उच्चतर दर रू0 334=00 प्रति की दर से कय किये जाने से रू0 21,360=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

परिशिष्ट "क" भाग–(1)–(आख्या प्रस्तर 3.1 में सन्दर्भित)

क0सं0	लेखे की श्रेणी	लेखाओं की संख्या
1–	नगर निगम	01
2–	नगर पालिका परिषद	31
3–	नगर पंचायतें	33
4–	विकास प्राधिकरण	05
5–	विश्व विद्यालय	01
6–	डिग्री कालेज	13
7–	इण्टर कालेज	196
8–	जूनियर हाई स्कूल	236
9–	संस्कृत पाठशालाऐं	63
10–	कृषि उत्पादन मण्डी समितियां	16
11–	ट्रस्ट लेखें	76
12–	विविध लेखे	221
13–	वन समितियॉ (अस्थाई)	1161
14–	बेसिक शिक्षा समितियॉ	13
15–	वन विकास निगम	01
	योग	2067

परिशिष्ट "क" भाग–दो

(आख्या प्रस्तर–3–1 में सन्दर्भित)

सम्वर्ती सम्परीक्षाऐं :–

(1) गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रोद्यौगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर (सामान्य लेखा) 01

(2) ——————"—————— (फार्म लेखा) 01

(3) हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढवाल 01

(4) उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद 01

शत–प्रतिशत सम्परीक्षाधीन लेखें :–

(1) इन्जीनियरिंग कालेज 02

(2) मन्दिर समितियॉ 03

(3) राष्ट्रीय सेवा योजना के लेखे 07

(क) विश्वविद्यालय 04

(ख) माध्यमिक शिक्षा 02

(ग) प्राविधिक शिक्षा 01

16

परिशिष्ट "ख"

(आख्या प्रस्तर–3–2 में सन्दर्भित)

लेखे का नाम एवं सम्बन्धित अधिनियम :–

1– नगर पालिकाऐं	नगर पालिका अधिनियम 1916
2– नगर पंचायतें	———————"———————
3(क) कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ	उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम–1964
3(ख) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद	———————"———————
4(क) जिला बेसिक शिक्षा समितियाँ	उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम–1972
4(ख) बेसिक शिक्षा परिषद	———————"———————
5– राज्य विश्वविद्यालय	उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973
6– विकास प्राधिकरण	उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973
7– वन निगम	उ0प्र0 वन निगम अधिनियम–1974
8– महाविद्यालय, इण्टर कालेज	, वेतन वितरण अधिनियम, शिक्षा संहिता एवं इण्टर – मीडिएट शिक्षा अधिनियम।
9– कृषि विश्वविद्यालय	कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 एवं तद्धीन बनाये गये नियम/परिनियम/अध्यादेश।

वित्तीय – नियमावलियॉ

वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड –दो,तीन,पॉच,छः	–– सामान्य रूप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।
बजट मैनुअल	–– सामान्य रूप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।
समय–समय पर निर्गत शासकीय आदेशों का संकलन	––सामान्य रूप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।
मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आर्डरस	–– सामान्य रूप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।

परिशिष्ट "ग"

(आख्या प्रस्तर–5–3 में सन्दर्भित)

शासनादेश संख्या आडिट–1892/दस–78–355(10) दिनांक 21 जून,1978 द्वारा सम्प्रेक्षेय लेखाओं पर आरोपित सम्परीक्षा शुल्क की दरें :–

(क) सम्वर्ती सम्परीक्षा शुल्क की दर :–

(1) रू0 65000=00से अनधिक आय पर	05 प्रतिशत
(2) रू0 65000=00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रू0 2500=00
(3) रू0 एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रू0 10000=00या उसके अंश पर	रू0 100=00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रू0 500=00

(ख) उप सम्परीक्षा शुल्क की दर :–

(1) रू0 65000=00 से अनधिक आय पर	01प्रतिशत
(2) रू0 65000=00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रू0 800=00
(3) रू0 एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रू0 10000=00या उसके अंश पर	रू0 30=00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रू0 75=00

(ग) विविध लेखाओं हेतु निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दर :–

(1) कुल आय पर	0.75 प्रतिशत
(2) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रू0 75=00

(घ) विश्वविद्यालय की उप सम्परीक्षा हेतु निर्धारित सम्परीक्षा दर :–

(1) रू0 65000=00से अनधिक आय पर	01प्रतिशत
(2) रू0 65000=00से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रू0 800=00
(3) रू0 एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रू0 10000=00या उसके अंश पर	रू0 30=00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रू0 500=00

(च) शत–प्रतिशत सम्परीक्षा शुल्क की दर :–

शत–प्रतिशत सम्परीक्षा शुल्क की दरें वही हैं जो सम्वर्ती सम्परीक्षा हेतु निर्धारित हैं।

(छ) विशेष सम्परीक्षा शुल्क की दर :–

एतदर्थ कोई दर निर्धारित नही है सम्परीक्षा में संलग्न कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं लेखन सामग्री आदि का वास्तविक व्यय संस्था से वसूल किया जाता है।

परिशिष्ट "घ"

(प्रस्तर–7–1 में सन्दर्भित)

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग के लिए स्वीकृत जिला सम्परीक्षा कार्यालयों की सूची :–

जनपदीय कार्यालय :–

क्र0सं0	*जिले का नाम जहां जिला सम्परीक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित हैं।*
1–	देहरादून
2–	हरिद्वार
3–	उधम सिंह नगर
4–	नैनीताल
5–	अल्मोड़ा
6–	पौड़ी गढ़वाल
7–	नई टिहरी
8–	पिथौरागढ़
9–	चमोली

(ख) सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय :–

(1) गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर (सामान्य लेखा) कुमायूँ।
(2) गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर (फार्म लेखा) कुमायूँ।
(3) हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)।

(ग) राज्य स्तरीय कार्यालय :–

(1) वन विकास निगम नरेन्द्र नगर (अस्थायी मुख्यालय– देहरादून)

(2) उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उधमसिंह नगर (अस्थायी मुख्यालय हल्द्वानी)

परिशिष्ट "घ –1"

उत्तरांचल राज्य में 31–3–2003 को अवशेष आपत्तियों का विवरण :–

(1)गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रोद्यौगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर (सामान्य लेखा) 4879

(2) ———————— "————————————(फार्म लेखा) 4130

(3) हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढवाल 3425

(4)जिला स्तरीय लेखे 29787

(5) बड़े लेखे 33155

योग **75376**

लेखे वार अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण (दिनांक 31–3–2004) :–

क0सं0	लेखे की श्रेणी	अनिस्तारित आपत्तियों की संख्या
1–	नगर पंचायतें	4209
2–	शिक्षण संस्थायें	15313
3–	कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ	1125
4–	क्षेत्र समितियॉ	2238
5–	चैकित्सिक संस्थाऐं	552
6–	ट्रस्ट लेखे	200
7–	विविध लेखे	5341
8–	नगर निगम	5664
9–	नगर पालिकाऐं	15411

10–	बेसिक शिक्षा समितियॉ	4997
11–	महाविद्यालय	3922
12–	विकास प्राधिकरण	1254
13–	मन्दिर समितियॉ	220
14–	म्यूनिसिपल फारेस्ट	278
15–	जिला नगरीय विकास अभिकरण	531
16–	पालिटैक्निक संस्थाऐं	245
17–	इन्जीनियरिंग कालेज	532
18–	विश्वविद्यालय	4335
19–	कृषि एवं प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय	9009
	योग	***75376***

परिशिष्ट (ड.)

प्रान्तीय न्यासों की सूची
(प्रस्तर 11.1 में सन्दर्भित)

1– तारक जयन्ती, गोल्ड मेडल एण्डाउमेंट ट्स्ट, अल्मोड़ा।
2– पं0 ईश्वरी दत्त जोशी, स्कालरशिप एण्डाउमेंट फण्ड, अल्मोड़ा।
3– पद्मा जोशी फण्ड अल्मोड़ा।
4– लक्ष्मी देवी मैडल एण्डा0 ट्स्ट, अल्मोड़ा।
5– हरिनन्दन पुनेठा, स्कालरशिप एण्डा0 ट्स्ट, चम्पावत।
6– विक्ट्रो मेमोरियल एक्स सोल्जर्स वेनीवोलेंट फण्ड, अल्मोड़ा।
7– नार्थ वेस्टर्न रेलवे स्कूल ट्स्ट फेयरलान, मसूरी।
8– राजकृष्ण विद्यावती छात्रवृत्ति विन्यास न्यास, देहरादून।
9– टी0सी0 मुकर्जी, होम्योपैथिक डिस्पेंसनरी एण्ड हास्पिटल ट्स्ट, देहरादून।
10–स्टावेल मैमोरियल एण्डा0 ट्स्ट, गढ़वाल।
11–गढ़वाल सेनिटनरी स्कालरशिप एण्डा0 ट्स्ट, गढ़वाल।
12–आर0 मिस्टिस डे मेडल एण्डा0 ट्स्ट यू0पी0 गढ़वाल।
13–गढ़वाल क्ले मेमोरियल स्कालरशिप एण्डा0 ट्स्ट, कर्णप्रयाग।
14–राय महाबीर प्रसाद शाह बहादुर धर्मशाला एण्डा0 ट्स्ट, गढ़वाल।
15–चन्द्र बल्लभ मैमोरियल एण्डा0 ट्स्ट, गढ़वाल।
16–पं0 तारादत्त खण्डूरी, स्कालरशिप एण्ड0 ट्स्ट, गढ़वाल।
17–ठाकुर सालिग्रामसिंह परमार स्कालरशिप एण्डा0 ट्स्ट गढ़वाल।
18–गोविन्द पाठशाला एण्डा0 ट्स्ट फण्ड।
19–विक्ट्रो मैमोरियल गढ़वाली एक्स सिर्विसेजर वेनीबोलेंट फण्ड।
20–श्रीमती सुशीला काला छात्रवृत्ति न्यास, रूद्रप्रयाग।
21–कुमायूँ एण्ड भांवर कल्टिवेटर्स ट्स्ट फण्ड, नैनीताल।
22–बच्चा सीडसइण्डिजेंण्ट पापर ट्स्ट फण्ड, हल्द्वानी।
23–रैमजे हास्पिटल ट्स्ट, नैनीताल।
24–बांकेलाल बनवारी लाल हुण्डीवाले स्कालरशिप एण्डा0 ट्स्ट, नैनीताल।
25– राधेहरि स्कालरशिप एण्डा0 ट्स्ट, उधमसिंह नगर।
26–लाला चेतराम शाह ठुलगरिया एजूकेशन एण्डा0 ट्स्ट फण्ड।
27–राय साहब पं0 नारायण दत्त एवं देवीदत्त चिमवाल स्कालरशिप एण्डा0 ट्स्ट फण्ड।
28–श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर हनुमानगढ़, नैनीताल।
29– श्री कैंची हनुमान तथा आश्रम ट्स्ट, नैनीताल।

30–टामसन कालेज टेस्टोमोनियल फण्ड एण्डा0 रूड़की।
31–विजयानगरम् स्कालरशिप इन टामस इंजीनियरिंग कालेज।
32–फेयरलो मैमोरियल फण्ड।
33–कैलकाट रैलो मैमोरियल फण्ड।
34–सुल्तीवान स्कालरशिप एण्ड मेडल एण्डा ट्स्ट।
35– जनरल अप्रैंटिंस फण्ड, रूड़की वर्कशाप।
36–बैजनाथ स्कालरशिप फण्ड।
37–फ्रांसिस शैमियर स्कालरशिप फण्ड।
38–गंगादेवी स्कालरशिप एण्डाउमेंट।
39–सुशीला एण्ड जे मित्रा मैमोरियल सिल्वर मेडल फण्ड।
40–सदर डिस्पेंसरी फण्ड, रूड़की।
41–रामचन्द्र स्कालरशिप एण्डा0 ट्स्ट।
42–गवर्नमेंट आरमन शैमियर हाईस्कूल ट्स्ट फण्ड।
43–लाला पूरनमल सिल्वर मेडल एण्डा0 ट्स्ट फण्ड।
44–शीलाप्रिया मैमोरियल (स्वीमिंग) ट्स्ट।
45– श्रीमती सरस्वती विष्ट स्कालरशिप एण्डा0 फण्ड, अल्मोड़ा।

केन्द्रीय न्यासों की सूची

(1) गढवाल क्षेत्रीय शिक्षा न्यास निधि।

नगर पालिका परिषदें

क्र० सं०	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक अनियमित परिहार्य/अग्राह्य व्यय भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितताएँ	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनाबुमोदित व्यय
1—	2—	3—	4—	5—	6—	7—	8—	9—	10—	11—	12—
1	नगर पालिका परिषद मसूरी	2002–03	—	17550=00	—	—	—	11400=00	332800=00	—	—
2	—तदैव— विकास नगर	2002–03	—	48921=00	—	—	—	—	—	—	—
3	—तदैव— काशीपुर	2000–01 से 2001–02	—	725783=00	—	—	85850=00	310980=00	—	—	—
4	—तदैव— जसपुर	2001–02 से 2002–03	—	120785=00	—	—	—	311400=00	—	—	—
5	—तदैव— बाजपुर	—तदैव—	—	45234=00	—	—	—	137600=00	—	—	622059=00
6	—तदैव—रूद्रपुर	2000–01 से 2001–02	—	325213=70	—	—	72194=00	—	—	—	—
7	—तदैव— ऋषिकेश	2002–03	—	1508584=00	—	—	—	42600=00	—	—	—
8	—तदैव— हरिद्वार	—तदैव—	—	928308=00	—	—	1949136=00	32650=00	—	—	—
9	—तदैव— टिहरी	—तदैव—	—	1554900=00	—	—	—	—	—	—	—
10	—तदैव— उत्तरकाशी	—तदैव—	—	389535=00	—	—	18850=00	—	—	—	—
11	—तदैव— श्रीनगर	—तदैव—	—	—	51696=00	—	—	—	—	—	—
12	—तदैव— जोशीमठ	—तदैव—	—	86081=00	—	—	6700=00	—	—	—	—
13	—तदैव— अल्मोड़ा	—तदैव—	—	—	135159=00	—	148406=50	—	—	—	—
14	—तदैव— बागेश्वर	—तदैव—	—	—	40844=00	—	3289=00	—	—	—	—
15	—तदैव— दुगड्डा	—तदैव—	—	18794=00	—	—	13424=50	62427=00	—	—	—
16	—तदैव— नैनीताल	—तदैव—	—	457379=00	—	—	1309902=00	—	—	—	—
17	—तदैव—रूड़की	—तदैव—		30476=00	—		233882=00	—	—	—	—
18	—तदैव— मंगलौर	—तदैव—	—	—	—	—	16568=00	3875=00	—	—	—
19	—तदैव—पिथौरागढ़	2001–02	—	197528=00		—	228205=00	—	—	—	—
	—तदैव— रामनगर	2001–02	—	—	—	—	82744=00	211380=00	—	—	—
	योग	—	—	6455071=70	227699=00	—	4169151=00	1124312=00	332800=00	—	622059=00

नगर पंचायतें

क्र०	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित	अधिष्ठान	राजकीय अनुदानों	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी क्षति	विविध
सं०				परिहार्य/अग्राह्य	सम्बन्धी	से सम्बन्धित				
				व्यय भुगतान	अनियमित व्यय	अनियमितताए				
1—	2—	3—	4—	5—	6—	7—	8—	9—	10—	11—
1—	नगर पंचायत महुआडावरा	2001—02 से	12108=00	—	—	—	—	—	—	—
		2002—03								
2—	——"—— दिनेशपुर	—तदैव	—	—	—	—	—	4825=00	—	—
3—	——"—— केलाखेड़ा	—तदैव	—	106604=00	—	—	69300=00	34476=00	—	—
4—	——"—सुल्तानपुर पट्टी	—तदैव	—	6100=00	—	—	—	102167=00	—	—
5—	——"—महुआ खेड़ा गंज	—तदैव	—	—	—	—	—	35230=00	—	—
6—	——"—— हबर्टपुर	2002—03	—	—	—	—	—	1912=00	—	—
7—	——"——कीर्तिनगर	—तदैव	—	14400=00	—	—	—	—	—	—
8—	——"—मुनि की रेती	—तदैव	—	23800=00	—	—	—	—	—	—
9—	——"—— देव प्रयाग	—तदैव	—	108000=00	—	—	—	—	—	—
10—	——"—— चम्बा	—तदैव	—	264357=00	—	—	—	—	—	—
11—	——"—— बड़कोट	—तदैव	—	—	317284=00	—	—	—	—	—
12—	——"—— गंगोत्री	—तदैव	—	—	63000=00	—	—	—	—	—
13—	——"—— द्वाराहाट	—तदैव	—	3323=00	—	—	40600=00	—	—	—
14—	——"—— रूद्रप्रयाग	2001—02	—	8927=00	—	—	—	—	—	—
15—	——"—— ऊखीमठ	2000—01से	—	5598=00	—	—	10000=00	—	—	—
		2001—02								
	योग		12108=00	541109=00	380284=00	—	119900=00	178410=00	—	—

उच्चतर मा0 विद्यालय

क्र0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित	अधिष्ठान	राजकीय अनुदानों	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी क्षति	विविध
सं0				परिहार्य/अग्राह्य	सम्बन्धी	से सम्बन्धित				अनियमितताए
				व्यय भुगतान	अनियमित व्यय	अनियमितताए				
1–	2–	3–	4–	5–	6–	7–	8–	9–	10–	11–
1–	जनमा उ0मा0 विद्यालय	1999–2000	—	1000=00	—	—	114=00	—	—	—
	ककोड़ाखाल	2001–2002								
	योग		—	1000=00	—	—	114=00	—	—	—

संस्कृत पाठशाला

क0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित	अधिष्ठान	राजकीय अनुदानों	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी क्षति	विविध
सं0				परिहार्य/अग्राह्य	सम्बन्धी	से सम्बन्धित				अनियमितताए
				व्यय भुगतान	अनियमित व्यय	अनियमितताए				
1–	2–	3–	4–	5–	6–	7–	8–	9–	10–	11–
1–	बद्रीश संस्त पाठशाला	2000–01से		1467=00						
	डिम्बर	2001–02								
	योग		—	1467=00	—	—	—	—	—	—

कृषि उत्पादन मण्डी परिषद

क0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित	अधिष्ठान	राजकीय अनुदानों	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के	विविध
सं0				परिहार्य/अग्राह्य	सम्बन्धी	से सम्बन्धित			प्रकरण	अनियमितताए
				व्यय भुगतान	अनियमित व्यय	अनियमितताए				
1–	2–	3–	4–	5–	6–	7–	8–	9–	10–	11–
1–	उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद हल्द्वानी	2000–01से 2002–03		1750800=72	56019=00	—	463979=00	21949=00	547536=00	

कृषि उत्पादन मण्डी समिति

क० सं०	नाम	अवधि	अनानुमोदित व्यय	अधिक/अनियमित परिहार्य/अग्राह्य व्यय भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितताए	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	विविध अनियमितताए
1–	2–	3–	4–	5–	6–	7–	8–	9–	10–	11–
1–	कृषि उत्पा0म0समिति, खटीमा	1998–99	—	—	—	—	67657=00	—	—	—
2–	———"——— रूद्रपुर	2002–03	—	—	—	—	28414=88	—	—	—
3–	———"——— किच्छा	2001–02से	—	—	—	—	14178=81	—	144970=80	—
		2002–2003								
4–	———"———बाजपुर	—तदैव—	273571=00	—	—	—	23006=00	—	—	—
5–	———"——— काशीपुर	—तदैव—	4103206=00	11696=00	—	—	—	3246=00	—	—
	योग	—	4376777=00	11696=00	—	—	133256=69	3246=00	144970=80	—

महाविद्यालय / विश्वविद्यालय

क0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित परिहार्य/अग्राह्य व्यय भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदान से सम्बन्धित अनियमितताए	आर्थिक क्षति	अस्थायी अग्रिम	अनानुमोदित व्यय	विविध अनियमितताये
1–	2–	3–	4–	5–	6–	7–	8–	9–	10–	11–
1–	के0एल0डी0ए0वी0 डिग्री कालेज रूड़की	2002–03	3100=00	4000=00	——	——	——	——	——	——
2–	कुमाऊँ विश्व वि0 नैनीताल	2001–2002	35494=00	1192487=00	2486113=00	5025000=00	2065341=00	—	—	—
		2002–2003								
3–	हे0न0ब0 विश्व वि0 श्रीनगर गढ0	2001–02	—	2940019=00	154476=00	—	31126441=00	14161067=00	34099469=00	—
4–	कुमाऊँ इन्जी0 कालेज द्वाराहाट	2001–02	—	55884=00	—	21360=00	—	—	—	—
	योग		38594=00	4192390=00	2640589=00	5046360=00	33191782=00	14161067=00	34099469=00	—

बेसिक शिक्षा समितियाँ

क0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित	अधिष्ठान	राजकीय अनुदानों	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के	विविध
सं0				परिहार्य/अग्राह्य	सम्बन्धी	से सम्बन्धित			प्रकरण	अनियमितताए
				व्यय भुगतान	अनियमित व्यय	अनियमितताए				
1–	2–	3–	4–	5–	6–	7–	8–	9–	10–	11–
1–	बेशिक शिक्षा समिति	2001–02	—	—	45380=00	—	—	—	20000=00	—
	पिथौरागढ़									
	योग		—	—	45380=00	—	—	—	20000=00	—

राष्ट्रीय सेवा योजना माध्यमिक शिक्षा

क0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित	अधिष्ठान	राजकीय अनुदान	आर्थिक क्षति	अस्थायी	अनानुमोदित	विविध
सं0				परिहार्य/अग्राह्य	सम्बन्धी	से सम्बन्धित		अग्रिम	व्यय	अनियमिततायें
				व्यय भुगतान	अनियमित व्यय	अनियमितताए				
1–	2–	3–	4–	5–	6–	7–	8–	9–	10–	11–
1–	राष्ट्रीय सेवा योजना माध्यमिक	1999–2000	—	4000=00	—	—	—	—	397312=00	—
	शिक्षा कुमायूँ मण्डल	2002–03								
	योग		—	4000=00	—	—	—	—	397312=00	—

पालीटेक्निक संस्थायें

क0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित	अधिष्ठान	राजकीय अनुदान	आर्थिक क्षति	अस्थायी	अनानुमोदित	विविध
सं0				परिहार्य/अग्राह्य	सम्बन्धी	से सम्बन्धित		अग्रिम	व्यय	अनियमिततायें
				व्यय भुगतान	अनियमित व्यय	अनियमितताए				
1–	2–	3–	4–	5–	6–	7–	8–	9–	10–	11–
1–	के0एल0 पालीटेक्निक	2002–03	—	22444=00	—	—	—	—	—	—
	रूड़की									
	योग		—	22444	—	—	—	—	397312=00	—

सारांश

क्र०	नाम	व्यपहरण	अधिक/अनियमित	अधिष्ठान	राजकीय अनुदानों	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग	अनानुमोदित	विविध	योग
सं०			परिहार्य/अग्राह्य	सम्बन्धी	से सम्बन्धित			के प्रकरण	व्यय	अनियमितताए	
			व्यय भुगतान	अनियमित व्यय	अनियमितताए						
1–	2–	3–	4–	5–	6–	7–	8–	9–	10–	11–	12–
1–	नगर पालिका परिषद	—	6455071=70	227699=00	—	4169151=00	1124312=00	—	622059=00	—	12598292=70
2–	नगर पंचायतें	12108=00	541109=00	380284=00	—	119900=00	178410=00	—	—	—	1231811=00
3–	इ०कालेज/शिक्षण संस्थायें	—	2467=00	—	—	114=00	—	—	—	—	2581=00
4–	उत्तरांचल कृ०उ०म०परिषद	—	1750800=72	56019=00	—	463979=00	21949=00	547536=00	—	—	2840283=72
5–	कृ०उ० मण्डी समितियाँ	—	11696=00	—	—	133266=69	3286=00	144970=00	4376777=00	—	4669955=69
6–	हे०न०बहु० वि० विद्यालय	—	2940019=00	154476=00	—	31126441=00	—	—	34099469=00	—	68320405=00
7–	कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनी०	35494=00	1192487=00	2486113=00	5025000=00	2065341=00	—	—	—	—	10804435=00
8–	कुमाऊँ इन्जी०का० द्वाराहाट	—	55884=00	—	21360=00	—	—	—	—	—	77244=00
9–	बे०शि० समिति पिथौरागढ़	—	—	45380=00	—	—	—	20000=00	—	—	65380=00
10–	रा०से०योजना मा०शिक्षा नैनी०	—	4000=00	—	—	—	—	—	397312=00	—	401312=00
11–	के०एल०डी०ए०वी० डिग्री कालेज रूड़की	3100=00	4000=00	—	—	—	—	—	—	—	7100=00
12–	के०एल० पालीटेक्निक रूड़की	—	22444=00	—	—	—	—	—	—	—	22444=00
	योग	50702=00	12979978=42	3349971=00	5046360=00	38078192=69	1327917=00	712506=00	39495617=00	—	101041244=11

- 2–उपर्युक्त संस्थाओं का वित्तीय मार्ग दर्शन करना।
- 3– उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों पर अभिमत देना।
- 4– सम्परीक्षा के उपरान्त यथा आवश्यक अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित उपभोग प्रमाण पत्र निर्गत करना।
- 5–. सम्परीक्षित संस्थाओं (पंचायत संस्थाओं के अतिरिक्त) के वार्षिक आय–व्यय, रोकड़पत्र एवं लाभ – हांनि खाता का प्रमाणीकरण एवं सन्तुलन पत्र के अपवादों को लेखांकित करना।
- 6– भारतीय रिजर्व बैंक/ नाबार्ड द्वारा जारी मापदण्डों के अनुरूप सहकारी संस्थाओं का उनके कार्य परिणाम के आधार पर वर्गीकृत करना।
- 7– सहकारी संस्थाओं की बकाया धनराशि को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप एन0पी0ए0 का निर्धारण करना।
- 8– विभाग के नवनियुक्त लेखा परीक्षकों एवं जिला सम्परीक्षा अधिकारियों को आधारभूत प्रशिक्षण तथा विभागीय अधिकारियों एवं लेखा परीक्षा कर्मियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण देना।
- 9– सेवारत विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मार्गदर्शन एवं उन्हें सम्परीक्षा से सम्बन्धित अद्यतन शासकीय आदेशों से युक्त करने के लिए उनका प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण आयोजित करना।
- 10– सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग के लेखा कर्मियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देना।
- 11– विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विशिष्ट क्षेत्रों में निष्णात् गणमान्य व्यक्तियों की संगोष्ठियॉ आयोजित करना।
- 12– सम्परीक्षाधीन लेखाओं पर नियमानुसार सम्परीक्षा शुल्क आरोपित करना तथा उनकी वसूली करना।
- 13– सम्परीक्षाधीन सहकारी एवं पंचायत प्राधिकारियों के अधिनियम, नियमावली एवं उपविधियों के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत क्षति, कपट, दुरूपयोग आदि के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध अधिभार कार्यवाही करना।
- 14–उपर्युक्त सहकारी सवं पंचायत संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य लेखाओं की आवश्यकतानुसार विशेष सम्परीक्षा सम्पादित करना।

अपने पत्रांक 5132/दस–99–101(29)/97 दिनांक 16–3–2000 द्वारा जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा सहकारी समितियां एवं पंचायते प्रभाग द्वारा सम्पन्न कराये जाने की स्वीकृति जारी की है। सहकारी एवं पंचायती राज संस्थाओं की लेखा–परीक्षा अधिनियमों एवं नियमावलियों में दिये गये प्राविधानों तथा सहकारिता एवं पंचायत राज विभागों द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आधार पर प्रभाग द्वारा की जाती है।

3– सम्परीक्षाधीन लेखे —

3.1 वर्ष 2003–04 में सम्परीक्षाधीन सहकारी संस्थाओं के लेखों की संख्या 2789, और पंचायतराज संस्थाओं की संख्या 7411 थी। संस्थाओं के विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" भाग "एक" में दिये गये हैं।

3.2 – सम्परीक्षाधीन सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं के संगत अधिनियमों आदि जिनके आधार पर सम्परीक्षा की गयी है, की सूची ***परिशिष्ट 'ख'*** में दी गयी है।

4– सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य —

4.1 – राज्य की सहकारी संस्थाओं के वार्षिक सन्तुलन पत्रों की जांच एवं प्रमाणीकरण के साथ–साथ लेखा परीक्षा इस दृष्टिकोण से भी की जाती है कि संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कितनी सफल रही है और संस्था का सामान्य प्रशासन अधिनियम, नियमावली, उपविधियो एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी राजाज्ञाओं तथा परिपत्रों के अनुसार संचालित किया जा रहा है। संस्थाओं की आर्थिक स्थिति एवं सामान्य प्रशासन की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/निबन्धक,सहकारी समितियॉ द्वारा निर्धारित अंक पद्यति के अनुसार संस्थाओं का वर्गीकरण किया जाता है।

इसी प्रकार पंचायत राज संस्थाओं को दिये गये वित्तीय अनुदान आदि का उपभोग शासन द्वारा जारी निर्देशों/मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाने है और इन संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी विशिष्ट अधिनियमों में अपेक्षित जन आकांक्षाओं की पूर्ति इनके द्वारा की जा रही है अथवा नहीं, की समीक्षा भी लेखा परीक्षा में की जाती है। अतः इस सन्दर्भ में सम्परीक्षा का कार्य मात्र लेखा परीक्षा न रहकर संस्था के सम्बन्ध में वित्तीय अनुशासन से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा का एक गुरूत्तर दायित्व भी हो जाता है।

4.2–सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग के कार्यकलाप::

- 1– सम्परीक्षाधीन सहकारी संस्थाओं, उद्योग संस्थाओं, दुग्ध संस्थाओं, आवास संस्थाओं, मत्स्य संस्थाओं, गन्ना संस्थाओं व पंचायत संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य संस्थाओं के विविध लेखाओं की नियमित सम्परीक्षा करना एवं परिणाम से संस्थाओं एवं शासन को सूचित करना।

1— प्रशासनिक खण्ड

उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2003 की धारा 64 एवं उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अधीन सहकारी एवं पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा नव सृजित राज्य में भी इस विभाग के सहकारी समितियां एवं पंचायते लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा सम्पादित की जा रही हैं। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 की धारा 8 (3) के अधीन वर्ष 2002–2003 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर जा चुका हैं। इस प्रभाग द्वारा सम्परीक्षित लेखाओं पर आधारित वर्ष 2003–2004 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान मण्डल में रखने हेतु प्रस्तुत है।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाने के उपरान्त, शासन के प्रशासकीय विभागों यथा प्रमुख सचिव एंव आयुक्त वन एंव ग्राम्य विकास, सचिव, सहकारिता उत्तरांचल शासन, निबंधक, सहकारी समितियां, निदेशक, पंचायती राज विभाग, दुग्ध आयुक्त, उत्तरांचल, को अनुपालन कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु ,प्रतिवेदन की प्रति भेजी गयी। परन्तु सहकारी एंव दुग्ध संस्थाओं यथा जिला सहकारी बैकों, केन्द्रीय/थोक उपभोंक्ता भण्डारों, सहकारी चीनी मिलों, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों व क्षेत्र पंचायतों आदि संस्थाओं द्वारा आपत्तियों के अनुपालन में कोई रूचि नही ली गई। फलस्वरूप उक्त संस्थायों पर बड़ी संख्या में आपत्तियां लुम्बित है। अतः भविष्य के लिए एक ऐसी तकनीक विकसित की जानी आपेक्षित है, कि सम्प्रेक्षाधीन संस्थायें, आड़िट आपत्तियों के अनुपालन की दशा में प्रयासरत रहें, ताकि इन सहकारी संस्थाओं में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित हो सके।

2— विभागीय प्राधिकार के स्रोत :—

2.1

उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2003 की धारा 64 तथा उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम संख्या 205 से 224 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रत्येक सहकारी वर्ष में एक बार कराये जाने का प्राविधान है। इसी प्रकार उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियम 1947 की धारा 40 तथा पंचायतराज नियमावली 1956 के नियम 186, 187 व 188 में ग्राम सभा, न्याय पंचायतों की लेखा परीक्षा कराने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 जिला परिषद तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य लेखा) (संशोधन) नियमावली 1999 की अधिसूचना संख्या 1511/33–2–99–29–जी0–99 दिनांक 18–5–99 के परिप्रेक्ष्य में उ0 प्र0 शासन के वित्त विभाग ने

उत्तरांचल शासन

वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

भाग–2

(सहकारी समितियां एवं पंचायतें)

वर्ष

2003–2004

प्रतिवेदक : निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह–स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरॉचल, देहरादून।

- 15– शासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यो पर शासन को आख्या प्रस्तुत करना।

5 – प्रभागीय आय–व्ययक :–

5.1 *यद्यपि* सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा सहकारी एवं पंचायतराज संस्थाओं आदि की सम्परीक्षा की जाती है, यह प्रभाग पूर्णतया उत्तरांचल शासन के वित्त विभाग के अधीन है और इस प्रभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी सरकारी सेवक हैं। इस बात का उल्लेख यहॉ विशेषतया इस प्रयोजन से किया जा रहा है कि सम्परीक्षाधीन संस्थाओं द्वारा कभी–कभी इस प्रकार की शंकाऐ व्यक्त की जाती है कि सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग भी सहकारी संस्थाओं की तरह अशासकीय तो नही है।

5.2 – इस प्रभाग की समस्त प्राप्तियाँ प्रादेशिक राजकोष में जमा होती हैं तथा विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रादेशिक बजट से, राज्य निधि से विभागीय व्यय हेतु धनराशि प्राप्त होती है।

5.3 – लेखा परीक्षा शुल्क विभागीय आय का मुख्य स्रोत है। सम्परीक्षा समाप्ति के उपरान्त सम्परीक्षा शुल्क का आरोपण शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाता है जो सम्परीक्षित संस्था द्वारा सीधे राजकोष में जमा किया जाता है। वर्तमान में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दरें (परिशिष्ट 'ग') उत्तरांचल राज्य में भी लागू है।

6 – विभागीय आय एवं व्यय का समन्वय :– वित्तीय वर्ष 2003–2004 में विभागीय व्यय एवं इस वर्ष में अवधारित सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	*वित्तीय वर्ष*	*व्यय(रूपये)*	*आरोपित सम्प0शुल्क(रू0)*
1–	2003–2004	2,04,77,999.00	73,11,495.00

6.2 सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा कृत कार्य सेवा प्रकृति के हैं जिन पर होने वाले व्यय की तुलना आरोपित शुल्क से नही की जा सकती है।

7.1– विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था :– उत्तरांचल शासन के वित्त विभाग के शा0 सं0 5058 / वि0शा0स0 / 2001 दिनांक 19 जून, 2001 द्वारा सम्परीक्षा का कार्य निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह–स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल के नियन्त्रणाधीन एक प्रभाग के रूप में कार्यरत है जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः द्वि–स्तरीय हैः–

(1) मुख्यालय स्तरीय।

(2) जिला स्तरीय।

जनपदीय कार्यालयों की सूची ***परिशिष्ट "घ"*** में दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त संवर्ती सम्परीक्षा कार्यालय भी हैं जिन पर प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशालय द्वारा होता है।

7.2–1– मुख्यालय स्तर :– सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा का प्रधान कार्यालय देहरादून में स्थित है जो निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिट नाम से जाना जाता है। सम्प्रति विभागाध्यक्ष श्री टी0एन0 सिंह,निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल हैं।

7. 2–2– मुख्यालय पर निदेशक के सहयोगी के रूप में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं जिसका विवरण प्रस्तर–8 में दिया गया है। जनपदों की प्रमुख संस्थाओं जैसे जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी दुग्ध संघ, जिला सहकारी संघ, केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार, सहकारी चीनी मिलें आदि के लेखाओं की लेखा परीक्षा के कार्य का पर्यवेक्षण, सन्तुलन पत्रों का प्रमाणीकरण लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का निर्गमन मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

7.3 – जनपद स्तरीय :– लेखा परीक्षाधीन ईकाइयॉ राज्य के शहरी क्षेत्र से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचलों तक में स्थित हैं। सभी जनपदों में सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा के जनपदीय कार्यालय हैं जिनमें कार्यालयाध्यक्ष जिला लेखा परीक्षा अधिकारी हैं। लेखा परीक्षक सभी जनपदों में नियुक्त किये गये हैं, जो सम्बन्धित जनपद में संस्थाओं की लेखा परीक्षा सम्पन्न करते हैं।

8– प्रभाग की जनशक्ति :– वर्ष 2003–04 के अन्त में प्रभाग में श्रेणीवार स्वीकृत पदों एवं उन पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् रहा है।

क्रम0 स0	अधिकारी/कर्मचारी का समूह	स्वीकृत पद	कार्यरत सं0	रिक्तपद संख्या	प्रतिशत (लगभग)
1–	समूह"क"	03	01	02	33.33
2–	समूह"ख"	18	06	12	33.33
3–	समूह "ग"	376	121	255	
	ज्ये0 ले0 परीक्षक ग्रेड–1	08}	06}	02}	
	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	243} 320	65} 95	178} 225	29.69
	लेखा परीक्षक	69}	24}	45}	
	लिपिक वर्गीय	56	26	30	46.43
4–	समूह "घ"	39	15	24	38.46
	योग	436	143	293	

9– सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2003–04 में सम्पादित सम्परीक्षा कार्य:– वर्ष 2003–2004 में दो तिहाई पदों के रिक्त रहने के उपरान्त भी सम्परीक्षाधीन 10200 लेखाओं में से 3625 लेखाओं की सम्परीक्षा पूर्ण करायी गयी। 29 प्रतिशत स्टाफ से 35.54 प्रतिशत आडिट कार्य सम्पन्न किया गया। इस प्रकार शेष 64.46 प्रतिशत अर्थात 6575 लेखाओं की सम्परीक्षा जनशक्ति की कमी के कारण सम्पादित नही करायी जा सकी।

10.1.1 – ***सम्परीक्षा में उद्घाटित अनियमिततायें :–***

(क) सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2003–2004 तक में सम्परीक्षित लेखाओं में उद्घाटित विशिष्ट अनियमितताओं के अन्तर्गत कुल रू0 3,22,31,007.00 की धनराशि अन्तर्निहित थी जिसका संस्थावार/शीर्षकवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	*शीर्षक*	*धनराशि*
1–	व्यपहरण	24,95,607.00
2–	अनियमित भुगतान	48,96,438.00
3–	राजस्व हानि	40,955.00
4–	आर्थिक क्षति	93,58,634.00
5–	विविध अनियमितताये	1,54,39,373.00
	योग	*3,22,31,007.00*

10.1.2 –– विशेष सम्परीक्षाऐं :– प्रभाग के लेखा परीक्षाधीन संस्थाओं के बारे में अत्यन्त गम्भीर प्रकृति यथा गबन/दुर्विनियोग/आर्थिक क्षति/ गम्भीर अनियमितता से सम्बन्धित प्रकरणो की विशेष जांच संस्था के अनुरोध पर शासन की स्वीकृति से अथवा प्रत्यक्ष शासनादेश से सम्पादित की जाती है। वर्ष 2003–2004 में सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा प्रभाग से सम्बन्धित किसी भी संस्था की विशेष सम्परीक्षा कराये जाने विषयक शासन से कोई आदेश प्राप्त नही हुआ है।

10.2.1 ——सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति :— वर्ष 2003–2004 में आरोपित एवं वसूल किये गये सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् थी :—

	(रूपयों में)
01 अप्रैल, 2003 को प्रारम्भिक शेष	18,90,411.00
वर्ष में स्थापित मांग	73,11,495.00
योग	**92,01,906.00**
वर्ष में समाहरण	69,43,854.00
31 मार्च, 2004 को बकाया	**22,58,052.00**

10.2.2—— वर्ष 2003–04 में अवधारित लेखा परीक्षा शुल्क रू0 73,11,495.00 में से दिनांक 31.3.2004 तक रू0 6506174.00 सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं से राजकीय कोषागार में जमा कराया जा चुका है,जो वर्ष में स्थापित मांग का 89 प्रतिशत है। बकाया लेखा परीक्षा शुल्क रू0 18,90,411.00 में से रू0 3,37,680.00 सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं का जमा किया जा चुका है।

11— **निष्कर्ष :—** उपर्युक्त प्रतिवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट "क" से स्पष्ट है कि इस प्रभाग को वर्ष 2003–2004 में 2789 सहकारी संस्थाओं एवं 7411 पंचायतराज संस्थाओं की लेखा परीक्षा करनी थी। जनशक्ति की कमी के कारण बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट व आयकर की परिधि में आने वाली संस्थाओं को वरीयता देते हुए अधिकांश संस्थाओं की (1053 सहकारिता एवं 2572 पंचायत) लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। आलोच्य वर्ष में सम्परीक्षित संस्थाओं की सम्परीक्षा आख्याओं के आधार पर पूर्वोक्त कण्डिका 10.1.1 में वर्णित रूपये 3,22,31,007.00 की वित्तीय अनियमितताऐं प्रकाश में आयीं जिनमें व्यपहरण, दुर्निवियोग,अधिक एवं अनियमित भुगतान, आर्थिक क्षति आदि के प्रकरण समाविष्ट हैं।

(टी0 एन0 सिंह)
निदेशक

2— कार्यकारी खण्ड

सहकारी एवं पंचायतलेखा परीक्षा प्रभाग, उत्तरांचल

(वर्ष 2003–2004)

वर्ष 2003–04 में जिन संस्थाओं की सम्परीक्षा सम्पादित की गयी, उनमें उद्घाटित वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रकरण अनुवर्ती पृष्ठों तथा सम्बन्धित संस्थाओं के खण्ड में दिये जा रहे हैं।

सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं का श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार हैं :–

क0सं0	लेखे की श्रेणी	अनियमितता में अन्तर्निहित धनराशि
1–	जिला सहकारी बैंक लि0	18,26,355.00
2–	जिला भेषज एंव सहकारी विकास संघ लि0	1,33,525.00
3–	केन्द्रीय/थोक उपभोक्ता भण्डार	65,974.00
4–	कय विकय सहकारी समिति लि0	–
5–	किसान सेवा/दीर्घा0/साधन समितियॉ	7,35,909.00
6–	अकृषक/वेतन भोगी सहकारी समितियॉ	–
7–	सहकारी चीनी मिलें	1,62,12,084.00
8–	गन्ना सहकारी समितियॉ	13,06,500.00
9–	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0	13,64,634.00
10–	वैयक्तिक लेखा (पी0एल0ए0)	90,78,788.00
11–	जिला पंचायतें	–
12–	क्षेत्र पंचायतें	6,01,576.00
13–	ग्राम पंचायते	9,05,662.00
	योग	**3,22,31,007.00**

वर्ष 2003–2004 में सम्पन्न विशेष सम्परीक्षाऐं

:: जिला सहकारी बैंक ::

जिला सहकारी बैंक लि0,देहरादून (वर्ष 2001–02)

अनियमित भुगतान :–

1 –बैंक के वाहन को प्रयुक्त न कर अनुबन्ध पर टैक्सी का भुगतान रू0 1,400.00 किया जाना अनियमित था।

भाग(अ) प्रस्तर– 42

2– कैडर एथोरिटी के बिना स्वीकृति के सचिव/महा प्रबन्धक व वरिष्ठ प्रबन्धकों को क्लोजिंग एलाउन्स व बोनस रू0 76,330.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग (ब) प्रस्तर– 33

3– बैंक कर्मचारियों को वार्षिक लेखाबन्दी भत्ता के रूप में रू0 9,95,720.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग(ब) प्रस्तर– 62

4–बैंक द्वारा वार्षिक लेखा बन्दी पर अपने कर्मचारियों को एक माह के वेतन के बराबर क्लोजिंग एलाउन्स के भुगतान के साथ–साथ अतिकाल (ओवर टाईम) का रू0 18634.00 भुगतान अनियमित था ।

भाग(ब) प्रस्तर– 39,162,198

5–नियमों के विरूद्ध बैंक कर्मचारियों को विवाह ऋण रू0 3,25,750.00 का भुगतान अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर– 28

6– बैंक कर्मचारियों को बोनस के रूप में रूपये 1,10,683.00 बोनस अधिनियम सीमा से अधिक भुगतान किया गया है।

भाग (ब) प्रस्तर– 63

7–बैंक का टेलीफोन होने पर भी बाहर से किये गये टेलीफोन बिलों का रू0 4,622.00 भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग(अ) प्रस्तर– 56

8– बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों को दिनांक 12–5–2001 से 18–5–2001 तक हड़ताल अवधि का रू0 2,42,911.00 वेतन भुगतान किया जाना बैंक सेवा नियमावली के विपरीत था ।

भाग(ब) प्रस्तर– 08

विविध अनियमिततायें :–

9– गाड़ी संख्या यू.पी.–7 जी. 8158 के पैट्रोल व मरम्मत व्यय रू0 50.305.00 की पुष्टि में समुचित प्रमाणक उपलब्ध न होने के कारण व्यय अनियमित है।

भाग(अ) प्रस्तर– 41

जिला भेषज एवं सहकारी विकास संघ

कुमाऊँ सहकारी संघ लि0,अल्मोड़ा,जिला–अल्मोड़ा
(वर्ष 2001–02)

व्यपहरण:–

1– डुप्लीकेटिंग पेपर क्रय की राशि रू0 210.00 की आमद स्टाक पजिंका में न दर्शाकर स्टाक का व्यपहरण किया गया हैं।

भाग(अ) प्रस्तर– 02

2–बिल का योग रू0 4,659.00 से अधिक लगाये जाने तथा स्वयं के दायित्व को कम किये जाने के कारण व्यपहरण किया गया है।

भाग(अ) प्रस्तर– 03

3– विक्रेता के दायित्व खाते से थोक बिक्री का मूल्य रू0 278.00 से अधिक समायोजन कर व्यपहरण किया गया है।

भाग(अ) प्रस्तर– 04

विविध अनियमिततायें :–

4– बैंक नकदी साख ऋण का दायित्व रोकड़ पत्र में रू0 62,021.00 से कम दर्शित करने से लाभ प्रभावित हुआ है।

भाग(ब) प्रस्तर– 05

5– कर्मचारी जमानत की राशि रू0 39,008.00 रोकड़ पत्र में प्रमाण रहित दर्शित किये जाने से लाभ को प्रभावित किया गया है।

भाग(ब) प्रस्तर– 06

6–दीगर पावना राशि रू0 27,349.00 की वसूली न होने के कारण संघ की पूँजी समाप्त हो गई है, जिससे सस्था का लाभ प्रभावित हुआ है।

भाग(ब) प्रस्तर– 07

केन्द्रीय थोक उपभोक्ता भण्डार

दून कोआपरेटिव स्टोर्स लि0,देहरादून
(वर्ष 2002–03)

अनियमित भुगतान :–

1– रू0 11,160.00 के कम्बल व मिठाई कर्मचारियों को वितरित करना अनियमित था।
भाग (अ) प्रस्तर–2

2–सचिव की स्वीकृति बिना बिक्री पर रू0 1,484.00 का रिवेट विक्रेताओं द्वारा ग्राहको को देना अनियमित था ।
भाग (अ) प्रस्तर–3

आर्थिक क्षति :–

3–गैस की शार्टेज पर ब्याज की गणना कम दर पर करने के कारण रू0 11,493.00 की क्षति हुई है।
भाग (ब) प्रस्तर–5

विविध अनियमिततायें :–

4– बिना कोटेशन लिए अपंजीकृत दुकानों से रू0 3,308.00 के कैरी बैग क्रय करना व इनकी स्टाक पंजिका तैयार न करना अनियमित था ।
भाग (अ) प्रस्तर–1

5–क्रय स्टेशनरी रू0 6,183.00 स्टाक पंजिका में दर्शित न किया जाना अनियमित था।
भाग (अ) प्रस्तर–4

6–उधार बिक्री की वसूली हुए बिना खाते में उधार बिक्री रू0 32,346.00 की वसूली दर्शित करना अनियमित था ।
भाग (अ) प्रस्तर–6

किसान सेवा सहकारी/दीर्घाकार/मध्याकार/साधन सहकारी समितियां

साधन सहकारी समिति लि0,मेगाखाल,जिला–टिहरी गढ़वाल।
(वर्ष–2000–2001 व 2001–2002)

व्यपहरण :–

1– सदस्यो से प्राप्त वसूली की राशि रू0 4010.00 को कोषाकिंत न कर व्यपहरण किया गया।
भाग(अ) प्रस्तर–1 व 8

2– बिक्री धन जमा किये बिना, खाद का स्टाक कम कर रू0 8,969.00 के स्टाक का व्यपहरण किया गया।

भाग(अ) प्रस्तर–2,3,4

3– कैश बुक के आय पक्ष का योग रू0 4,700.00 से कम दर्शित कर कैश का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–11

4–बिना आहरण पत्र/चैक से रू0 4,500.00 की धनराशि बचत खाते से विड्राल कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–35

5– मिनी बैंक की शेष रोकड़ रू0 6,703.00 से कम चार्ज में देकर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–30,27

6–बचत खाते से फर्जी हस्ताक्षरों से रू0 1,500.00 विड्राल कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–53

अनियमित भुगतान :–

7–यात्रा देयक में अनुमन्य दरों से अधिक रू0 160.00 भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग(ब) प्रस्तर–16

मासी साधन सहकारी समिति लि0,चौखुटिया जिला–अल्मोड़ा।

(वर्ष :– 98–99 से 2001–02)

अनियमित भुगतान :–

1– समिति कर्मचारी को स्थानान्तरण भत्ते का रू0 416.00 भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग(अ) प्रस्तर–2

2– जलपान पर स्वीकृत सीमा से रू0 4,200.00 का अधिक व्यय किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर–3

विविध अनियमितायें :–

3– दीगर रकम रू0 1,720.00 की वसूली नही की गई थी।

भाग(ब) प्रस्तर–4

साधन सहकारी समिति लि0,चामाकेमर,जिला–टिहरी–गढ़वाल
(वर्ष 1999–2000 से 2001–02 तक)

व्यपहरण:–

1–सदस्यों से प्राप्त वसूली को कैशबुक में जमा न कर रू0 1,000.00 का व्यपहरण किया गया।
भाग (अ) प्रस्तर– 7

2– फर्जी अमानत जमा तथा आहरित कर रू0 9329.00 का व्यपहरण किया गया।
भाग (अ) प्रस्तर– 9

3–कैश बुक के आयपक्ष का योग रू0 659.00 से कम दर्शित कर व्यपहरण किया गया।
भाग (अ) प्रस्तर– 10

4–बिना बिक्री धन जमा किये खाद के स्टाक को कम करने के कारण रू0 8,850.00 के स्टाक का व्यपहरण किया गया।
भाग (अ) प्रस्तर– 18

साधन सहकारी समिति लि0,आमपाटा, जिला टिहरी गढ़वाल
(वर्ष 1998–99 से 2001–02)

व्यपहरण :–

1– कैश रसीदों से प्राप्य धनराशि को कोषाकिंत न कर रू0 306.00 का व्यपहरण किया गया।
भाग (अ) प्रस्तर–4

2–उर्वरक बिक्री रू0 14,163.00 को कोषाकिंत न कर व्यपहरण किया गया।
भाग (अ) प्रस्तर–23

अनियमित भुगतान :–

3– 15,832.00 का पुष्टि रहित भुगतान किया जाना अनियमित था ।
भाग (अ) प्रस्तर–10

4–बिना स्वीकृति एवं अनुमोदन के यात्रा भत्ते का रू0 3151.00 अनियमित भुगतान किया गया ।
भाग (अ) प्रस्तर–11,15,16 व 17

5–भूसम्पत्ति रजिस्टर बनाने हेतु रू0 640.00 का अनियमित भुगतान किया गया ।
भाग (अ) प्रस्तर–23

6–गत विक्रेताओं को वेतन व किराये का रू0 8235.00 भुगतान किया जाना अनियमित था ।
भाग (अ) प्रस्तर–19

साधन सहकारी समिति लि0,डांगी नैलचामी,जिला टिहरी गढ़वाल
(वर्ष 2000–01 से 2001–2002 तक)

व्यपहरण :–

1–फर्जी अमानत जमा तथा आहरित कर रू0 6,000.00 का अपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 5

2– बिना बिक्री धन जमा किये खाद के स्टाक को कम करने के कारण रू0 5,536.00 के स्टाक का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–11

3–बैंक के ट्रांसफर प्रमाणक के अभाव में खाद का स्टाक बैंक समायोजन के अन्तर्गत कम कर रू0 1,816.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 10

4– यूरिया खाद की आमद को कम दर्शित कर रू0 490.00 खाद के स्टाक का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 8

5–बिक्री कक्ष की कैशबुक में पुष्टि रहित बैंक जमा रू0 1,836.00 दर्शित कर, रोकड़ का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 12

6–सदस्यों से प्राप्य ऋण व सूद की वसूली को कोषाकिंत न कर रू0 8,273.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 19

7–बैंक में बिना प्रमाणक के सूद जमा दर्शाकर रू0 5,246.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 9

तामली साधन सहकारी समिति लि0,जिला चम्पावत
(वर्ष 97–98 से 2001–2002)

व्यपहरण:–

1– कैश बुक की शेष रोकड़ रू0 15,528.00 को ट्रांन्सफर प्रविष्टि से नाम डालकर व्यपहरण किया गया। जिसमें से रू0 11,653.00 दिनांक 31–3–2002 तक वसूली हेतु शेष था।

भाग(अ) प्रस्तर–2

रेगडू वत्सो साधन सहकारी समिति लि0, जिला चम्पावत
(वर्ष 98–99 से 2001–02)

व्यपहरण :–

1– प्रमाणक के बिना रू0 2,700.00 बैंक जमा दर्शाकर व्यपहरण किया गया।
भाग(अ) प्रस्तर–2

2–बैंक से आहरित धनराशि रू0 4,127.00 को कैशबुक में लेखाकिंत न कर व्यपहरण किया गया।
भाग(अ) प्रस्तर–3

3– कैश बुक के आयपक्ष का योग रू0 1,333.00 से कम अंकित कर व्यपहरण किया गया।
भाग(अ) प्रस्तर–4

4–कैशबुक की शेष रोकड़ रू0 10,166.00 डालकर व्यपहरित की गयी।
भाग(अ) प्रस्तर–5

5– आई0आर0डी0 योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि रू0 31,000.00 को ऋण में समायोजन की प्रविष्टि कैशबुक के आय पक्ष में न कर कैश का व्यपहरण किया गया।
भाग(अ) प्रस्तर–6

6– बिक्री की राशि रू0 15,857.00 कम जमा कर व्यपहरण किया गया।
भाग(अ) प्रस्तर–7

विविध अनियमिततायें :–

7– बिना स्वीकृति के रिस्क फण्ड की राशि रू0 21,370.00 बैंक के ऋण खाते में जमा की गयी।
भाग(ब) प्रस्तर–9

शक्ति फार्म किसान सेवा सहकारी समिति लि0,जिला उधमसिंहनगर
(वर्ष 2002–03)

व्यपहरण :–

1– गेहूँ खरीद पर निर्धारित दर से अधिक पल्लेदारी का भुगतान रू0 10,296.00 कर व्यपहरण किया गया।
भाग (अ) प्रस्तर–2

2– बिना प्रमाण/साक्ष्य के रू0 1,575.00 की राशि कैश बुक से कम कर व्यपहरण किया गया।
भाग(अ) प्रस्तर–3

3– दिनांक 20–02–2003 को अनियमित रूप से रू0 3,600.00 कैश खारिज करने से व्यपहरण किया गया था।

भाग(ब) प्रस्तर–5

अनियमित भुगतान :–

4 – दिनांक 11–2–2003 के प्रस्ताव संख्या–2 को अनियमित तरीके से निरस्त कर रू0 2,400.00 वेतन भुगतान नियम संगत न था।

भाग(ब) प्रस्तर–4

दक्षिणी खटीमा दीर्घाकार बहुउद्धेशीय सहकारी समिति लि0,खटीमा, जिला उधमसिंहनगर (वर्ष– 2002–03)

व्यपहरण :–

1– एन0पी0के0 की खाद 50 मि0टन क्रय की गई किन्तु स्टाक में 15 मि0टन खाद की आमद दर्शाकर शेष 35 मि0टन खाद जिसका मूल्य 1,17,353.00 है का व्यपहरण किया गया।

भाग (ब) प्रस्तर–7

2– 50 मै0 टन यूरिया खाद की आमद स्टाक में नही दर्शाई गयी,जबकि इफ्को को खाद का मूल्य रू0 2,23,063.00 भुगतान कर दिया गया, इसप्रकार क्रय स्टाक 50 मै0 टन यूरिया खाद का व्यपहरण किया गया।

भाग(अ) प्रस्तर–6

अनियमित भुगतान :–

3– गेहूँ खरीद पर निर्धारित दर से अधिक रू0 40,994.00 पल्लेदारी का भुगतान किया गया था।

भाग(अ) प्रस्तर–2

4– समिति कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत समिति के कर्मचारियों को रू0 6,307.00 दैनिक भत्ते का अनियमित भुगतान किया गया था जबकि समिति कर्मचारियों को समिति कार्य क्षेत्र के अन्तगर्त कृत यात्रा हेतु नियत यात्रा भत्ता देय है।

भाग(अ) प्रस्तर–9

विविध अनियमिततायें :–

5– समिति कर्मचारियों पर पहले से ही अग्रिम लम्बित होने के बावजूद पुनः 5 कर्मचारियों को रू0 1,00,000.00 अग्रिम भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग(अ) प्रस्तर–8

:: चीनी मिले ::

दि बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0,बाजपुर,उधमसिंहनगर
(वर्ष–99–2000)

अनियमित भुगतानः–

1 – केन मार्केटिंग मद में गन्ना समिति के कर्मचारियों को वर्ष 98–99 का रू0 6,500.00 नकद पुरस्कार दिया जाना अनियमित था।

भाग(अ) प्रस्तर– 02

2– मै0 पी0 एल0 बांगा एण्ड कम्पनी को बिना कोई अनुबन्ध पत्र निष्पादित करायें समायोजन द्वारा रू0 75,902.00 का भुगतान अनियमित था।

भाग(अ) प्रस्तर– 03

3– कर्मचारियों/अधिकारियों की भविष्य निधि की राशि समय से न जमा करने पर रू0 55,049.00 पैनल ब्याज का भुगतान अनियमित था ।

भाग(अ) प्रस्तर– 04

4– मिल परिसर में स्थित प्राईमरी पाठशाला के अध्यापकों को वाणिज्य एवं अधिष्ठान अधिनियम व फैक्ट्री अधिनियम के विपरीत अवकाश नकदीकरण सुविधा पर रू0 25,000.00 अनियमित व्यय किया गया।

भाग(अ) प्रस्तर– 06

5– मिल कर्मचारियों को बिना अवकाश के आकस्मिक अवकाश एवं बिना प्रमाण पत्र के चिकित्सा अवकाश की क्षतिपूर्ति के ऐवज में रू0 21,72,434.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

भाग(अ) प्रस्तर– 07

6– मुख्य रसायन विद को यात्रा भत्ते का रू0 1,050.00 अधिक एंव अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग(अ) प्रस्तर– 08

7– मुख्य अभियन्ता को चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में रू0 9,036.00 का अधिक भुगतान किया गया।

भाग(ब) प्रस्तर– 10

8– बिना प्रमाण–पत्र के रू0 5,000.00 का भुगतान समायोजन से दर्शाया जाना अनियमित था।

भाग(ब) प्रस्तर– 11

9– ब्आयलर निरीक्षण हेतु आये उप निदेशक को रू0 3,010.00 कार किराये का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग(ब) प्रस्तर– 13

10– अवास्तविक व्यय प्रमाणक के आधार पर भूतपूर्व गोदाम प्रभारी को समायोजन द्वारा रू0 1,55,807.00 का भुगतान अनियमित था।

भाग(ब) प्रस्तर– 14

11– रू0 500.00 की अनावश्यक सामग्री क्रय दर्शाकर भुगतान को समायोजित किया जाना अनियमित था।

भाग(अ) प्रस्तर–15

आर्थिक क्षति :–

12– आसवानी इकाई में मिल प्रबन्ध द्वारा मिल कार्य हेतु लिये गये अग्रिमों का निजी कार्य में प्रयोग कर रू0 91,56,977.00 सूद की क्षति हुई।

भाग(अ) प्रस्तर– 05

विविध अनियमिततायें :–

13– कर्मचारी के व्यक्तिगत अग्रिम खाते में नाम शेष रू0 43,793.00 होने पर भी अग्रिम दिया जाना अनियमित था।

भाग(अ) प्रस्तर–19

सहकारी चीनी मिल लि0,गदरपुर, उधमसिंहनगर
(वर्ष 1996–97)

व्यपहरण :–

1– भुगतान प्रमाणक में अंकित 42 मी0 सुपरहीटर ट्यूब रू0 5,784.00 की प्रविष्टि स्टाक एवं एम. आर. पंजिका में दर्ज न कर स्टाक का व्यपहरण किया गया।

भाग(अ) प्रस्तर– 01

2– 11.42 मी0 पाईप ड्रिलिंग में अधिक दर्शाकर रू0 7,137.00 के स्टाक का व्यपहरण किया गया।

भाग(अ) प्रस्तर– 02

अनियमित भुगतान :–

3– मोडवेट स्कीम के अन्तर्गत उत्पादन कर का रू0 10,479.00 अधिक एंव अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग(अ) प्रस्तर– 03

4– मुख्य गन्ना अधिकारी के आवास की सफाई पर रू0 28,800.00 का अनियमित व्यय किया गया था।

भाग(ब) प्रस्तर– 06

सहकारी चीनी मिल लि0, राजपुर पूरनपुर नादेही,उधमसिंहनगर :–
(वर्ष 1996–97)

अनियमित भुगतान :–

1– मुख्य अभियन्ता द्वारा एम.आर. में रू0 34,100.00 का माल निरस्त कर दिया गया, निरस्त माल का मूल्य भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग(अ) प्रस्तर– 04

2– निविदा आमन्त्रित किये बिना रू0 40,938.00 का माल क्रय कर भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग(अ) प्रस्तर– 05

3– रू0 31,448.00 की मेज, कुर्सियां व अन्य सामग्री क्रय में वित्तीय नियमों का अनुपालन न करते हुये, क्रय की औपचारिकताऐं पूर्ण नहीं की गयी थी, जो वित्तीय अनियमितता थी।

भाग(अ) प्रस्तर– 06

विविध अनियमितता :–

4– रोकड़ पत्र में स्टोर स्कन्ध रू0 1,24,034.00 से अपुष्ट दर्शित है।

भाग(ब) प्रस्तर– 08

5– मै0 के.एम.पी. पम्प लि0 के नाम शेष के उपरान्त भी अग्रिम भुगतान किया गया, जिसमें से रू0 71,518.00 आतिथि तक वसूली हेतु शेष था।

भाग(अ) प्रस्तर– 09

6– दीगर पावना में विभिन्न पार्टियों से रू0 3,08,766.00 लम्बे समय से पावना है जिसकी वसूली हेतु कार्यवाही नही की गई थी। जबकि इन पार्टियों के देयकों का भुगतान किया जा चुका था।

भाग(ब) प्रस्तर–10

7– चीनी मिल संघ लखनऊ के कर्मचारियों पर रू0 2,23,149.00 अग्रिम का पावना दर्शित है। जबकि धनराशि से सम्बन्धित अधिकांश कर्मचारी स्थानान्तरित /सेवा निवृत्त हो चुके थे ।

भाग(ब) प्रस्तर–11

8– विभिन्न आपूर्ति कर्ताओं को एग्रीमैन्ट के अनुसार रू0 35,59,851.00 अग्रिम दिया गया किन्तु भुगतान के समय अग्रिमों का समायोजन न किया जाना अनियमित था।

भाग(ब) प्रस्तर–12

9– वायरलैस सैट की आपूर्ति विलम्ब से करने पर निविदानुसार फर्म से रू0 18,000.00 पेनाल्टी काटी गई जो बाद में बिना औचित्य के सम्बन्धित फर्म को वापस कर दी गई।

भाग(ब) प्रस्तर– 13

10– मैसर्स देशबन्धी राम नन्दकुमार से संविदा जमानत की राशि रू0 38,022.00 को जमा न कराया जाना अनियमित था।

भाग(ब) प्रस्तर– 15

सहकारी गन्ना समिति

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0,बाजपुर, जिला–उधमसिंहनगर :– (वर्ष 1997–98)

व्यपहरण :–

1– दिनांक 26–7–97 को रू0 ^,50,000.00 बैंक में जमा दर्शाते हुए रोकड़ कम की गई,जबकि बैंक से मात्र रू0 50,000.00 की ही पुष्टि हुई। इस प्रकार रू0 9,00,000.00 की राशि व्यपहरित की गई थी।

भाग(अ) प्रस्तर– 02

2–बैंक आफ बड़ौदा शाखा मसवारी द्वारा समिति को फर्जी ऋण दर्शाकर समिति खाते से रू0 4,00,000.00 ब्याज को समायोजित कर समिति के धन का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 03

अनियमित भुगतान :–

3– विशेष सचिव को रू0 4,000.00 के स्थान पर रू0 6,000.00 बोनस भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर– 04

4– निजी आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की फीस रू0 500.00 का समिति से भुगतान अनियमित था।

भाग(ब) प्रस्तर–05

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,उधमसिंहनगर (वर्ष 2003–04)

व्यपहरण :–

1– 04 किलोग्राम घी स्टाक से कम कर रू0 456.00 का व्यपहरण किया गया था।

भाग(अ) प्रस्तर– 02

2– घी उत्पादन प्रक्रिया में 99.500 किग्रा0 घी कम दर्शित कर रू0 10,945.00 के स्टाक का व्यपहरण किया गया था।

भाग(अ) प्रस्तर– 03

3– बाजपुर प्लान्ट में प्राप्त मात्रा से 761.500 लीटर दूध की कम आपूर्ति दर्शाकर रू0 10,661.00 के स्टाक का व्यपहरण किया गया था।

भाग(अ) प्रस्तर– 04

आर्थिक क्षति :–

4– बिना अनुबन्ध के दूध का टैंकर एक स्थान से दूसरे स्थान प्रेषित किया गया जिससे रू0 1,90,164.00 का दूध खराब होने से आर्थिक क्षति हुयी।

भाग (ब) प्रस्तर– 06

चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,चम्पावत जिला–चम्पावत
(वर्ष 2001–02)

व्यपहरण :–

1– लेखा परीक्षा वर्ष की विभिन्न तिथियों में कैश बुक की शेष रोकड़ त्रुटिपूर्ण दर्शाकर रू0 1,23,148.00 का व्यपहरण किया गया था।

भाग(अ) प्रस्तर– 02

2– कैश रसीदों से प्राप्य आय को कोषाकिंत न कर रू0 4,995.00 का व्यपहरण किया गया था।

भाग(अ) प्रस्तर– 03

3– दुग्ध बिक्री की राशि रू0 2,18,097.00 को कोषाकिंत न कर व्यपहरण किया गया था।

भाग(अ) प्रस्तर– 04

4– खाते में रू0 20,298.00 जमा राशि का लेखा कैश बुक एवं जर्नरल में किये बगैर दर्शित कर व्यपहरण किया गया था।

भाग(अ) प्रस्तर– 05

5– निर्मित पदार्थ घी,पनीर आदि का स्टाक लेखाकिंत न कर तथा बिक्री मूल्य रू0 26,600.00 भी कोषाकिंत न कर व्यपहरण किया गया था।

भाग(अ) प्रस्तर– 07

6– पशु आहार खरीद स्टाक त्रुटिपूर्ण रखे जाने के कारण रू0 27,877.00 के स्टाक का व्यपहरण किया गया था।

भाग(अ) प्रस्तर– 08

अनियमित भुगतान :–

7– वाटर सोपिंग प्लान्ट खरीद में रू0 22,802.00 का अधिक भुगतान किया गया।

भाग(अ) प्रस्तर– 09

8–दुग्ध समितियों को प्राप्त राजकीय अनुदान से रू0 3,12,871.00 का अधिक भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग(अ) प्रस्तर– 10

9– खाते में जमा धनराशि से रू0 5,000.00 अधिक भुगतान किया गया था।

भाग(अ) प्रस्तर– 06

राजस्व की क्षति :–

10– पी0टी0पी0 प्लान्ट निर्माण के कार्यादेशानुसार व्यापार कर व आयकर कमशः रू0 66,232.00 व रू0 33,116.00 की कटौती राशि को कोषागार में जमा न किया जाने से राजस्व की क्षति हुई।

भाग(अ) प्रस्तर– 11

विविध अनियमिततायें :–

11– संघ के बैंक खाते में रू0 40,799.00 के लेखे पारित हैं ,किन्तु कैश बुक एवं जर्नरल में प्रविष्टियां नही की गई है।

भाग(ब) प्रस्तर– 12

12–पशु आहार रू0 3,16,805.00 का लेखा समिति के अभिलेखों में न कर तथा समितियों से इसकी सीधे वसूली किया जाना अनियमित था।

भाग(ब) प्रस्तर– 13

वैयक्तिक लेखा (पी0एल0ए0)

वैयक्तिक लेखा ग्राम पंचायत निधि (पी0एल0ए0) अल्मोड़ा (वर्ष 2000–01 से 2001–02)

अनियमित भुगतान :–

1– संस्था के वाहनों के अतिरिक्त अन्य विभागीय वाहनों को रू0 2008.00 का डीजल भुगतान संस्था कोष से किया जाना अनियमित था।

भाग(ब) प्रस्तर– 05

2– संस्था से बाहर के वाहनों का मरम्मत व्यय रू0 4,181.00 पी0एल0ए0 से भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर– 08

विविध अनियमिततायें :–

3– ग्राम पंचायतों को वितरण हेतु प्राप्त अनुदान की धनराशि में से अवशेष राशि रू0 82,32,894.00 राज्य सरकार को वापस न किया जाना अनियमित था।

भाग(ब) प्रस्तर– 01

4–ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत 35 शौचालयों की शीटस रू0 17,500.00 की लाभार्थियों को देने सम्बन्धी प्रमाणक व लेखा नहीं रखा गया था।

भाग(ब) प्रस्तर– 02

5– ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार व अन्य चार्ज की राशि रू0 22,115.00 के प्रमाणक नहीं थे।

भाग(ब) प्रस्तर– 03

6– प्रचार प्रसार मद में अग्रिम भुगतान दर्शित राशि रू0 80,000.00 का समायोजन नही किया गया था।

भाग(ब) प्रस्तर– 04

7– संस्था वाहन द्वारा 457 किमी0 की यात्रा लागबुक पर यात्राकर्ता अधिकारी द्वारा प्रमाणित नही पाई की गयी थी।

भाग(ब) प्रस्तर– 06

8– पी0एल0ए0 सूद व संस्पेंश मद की धनराशि से क्रय रू0 7,20,090.00 के चार्ट सैटों का उपयोग/विक्रय नही किया गया था।

भाग (ब) प्रस्तर– 07

क्षेत्र पंचायत

क्षेत्र पंचायत रामनगर,वि0 क्षे0–रामनगर, जिला–नैनीताल

अनियमित भुगतान :–

1–रेत,ईट,पत्थर व सीमेन्ट बाजार भाव से ऊँचे दरों पर क्रय कर रू0 8,026.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था ।

भाग (अ) प्रस्तर–2

2–अनुमन्य दरों से अधिक रू0 7,968.00 का मस्टररोल भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर–3

राजस्व हांनि :–

3–सरकार को रायल्टी का भुगतान रू0 7,839.00 न करने से राजस्व की हांनि हुई।

भाग (अ) प्रस्तर–4

विविध अनियमिततायें :–

4– शौचालयों की निर्माण राशि रू0 5,77,743.00 का भुगतान लाभार्थी के स्थान पर ग्राम पंचायतो को किया जाना अनियमित था ।

भाग (ब) प्रस्तर–9

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत–गढ़, वि0 क्षे0–नौगांव जिला –उत्तरकाशी।
(वर्ष–2000–01 से 2001–02)

व्यपहरण :–

1– बिना प्रमाणक के व्यय दर्शाकर रू0 37,491.00 का व्यपहरण किया गया था।

भाग(अ) प्रस्तर–1 व 3

विविध अनियमिततायें :–

2– निर्माण कार्यों हेतु भुगतान राशि रू0 6,82,775.00 की पुष्टि में तकनीकी माप पुस्तिका उपलब्ध नही थी।

भाग(अ) प्रस्तर–4

ग्राम पंचायत–पुरोला, वि0 क्षे0–पुरोला, जिला उत्तरकाशी।
(वर्ष – 99–2000 से 2001–02 तक)

विविध अनियमिततायें :–

1– प्रमाणक व तकनीकी माप पुस्तिका के बिना ही योजना व्यय रू0 17,909.00 का भुगतान दर्शाकर व्यपहरण किया गया ।

भाग(अ) प्रस्तर–1 व 2

ग्राम पंचायत :– तालबपुर वि0 क्षेत्र – जसपुर, जिला–उधमसिंह नगर
(वर्ष –2002–03)

व्यपहरण :–

1– बिना व्यय प्रमाणकों के कोषबही से रू0 1,43,827.00 का व्यय दर्शाकर व्यपहरण किया गया था।

भाग(अ) प्रस्तर– 02

2– बिना भुगतान प्रमाणक के रू0 7,560.00 का भुगतान कोषबही से घटा कर व्यपहरण किया गया, जिसका भुगतान सम्बन्धित पक्षों को भी नहीं किया गया था ।

भाग(अ) प्रस्तर– 03

3–छात्रों की रू0 1,200.00 छात्रवृत्ति, भुगतान बिना प्राप्ति रसीद एवं अध्यापक की पुष्टि के कोषबही से घटा कर, व्यपहरण किया गया था।

भाग (अ) प्रस्तर– 04

ग्राम पंचायत–गडसेरा वि0 क्षेत्र –नारायण बगड़ जिला–चमोली।
(वर्ष – 2001–2002)

व्यपहरण :–

1– बैंक खाते से आहरित धनराशि रू0 2,520.00 को कैश बुक में दर्ज न कर व्यपहरण किया गया।

भाग(अ) प्रस्तर–1

ग्राम पंचायतः–डांगतोली, वि0 क्षेत्र –नारायणबगड़ जिला–चमोली।
(वर्ष –2001–02)

व्यपहरण :–

1– बिना प्रमाणक के व्यय दर्शाकर रू0 570.00 का व्यपहरण किया गया था।

भाग(अ) प्रस्तर–1

2–श्रमिकों के फर्जी नाम मस्टर रोल में अंकित कर व उनको ग्राम सभा कोष से भुगतान दर्शाकर रू0 5,170.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–2

ग्राम पंचायत :–सरकोट वि0 क्षे0 –देवाल जिला–चमोली
(वर्ष – 2001–2002 व 2002–2003)

व्यपहरण :–

1– बैंक खाते से आहरित धनराशि रू0 534.00 को कोषाकिंत न कर व्यपहरण किया गया।

भाग(अ) प्रस्तर–1

2– बिना श्रमिकों की प्राप्ति के मस्टर रोल का भुगतान रू0 4,872.00 दर्शाकर व्यपहरण किया गया।

भाग(अ) प्रस्तर–3

3–रू0 234.00 का प्रमाण रहित व्यय दर्शाकर व्यपहरण किया गया।

भाग(अ) प्रस्तर–4

अनियमित भुगतान :–

4– विकास खण्ड की प्राप्ति रसीद के बिना ही , ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को विकास खण्ड फर्नीचर हेतु रू0 1,000.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग(ब) प्रस्तर–5

परिशिष्ट "क" भाग--(1)--(आख्या प्रस्तर 3,1 में सन्दर्भित)

क्रम सं0	संस्था की श्रेणी	संस्थाओ की संख्या
1	उत्तराचंल राज्य सहकारी विपणन संघ लि0	01
2	जिला सहकारी बैंक लि0,	09
3	अरबन कोआपरेटिव बैंक लि0	07
4	जिला सहकारी विकास संघ लि0	04
5	जिला भेषज विकास संघ लि0	09
6	थोक/केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार लि0	12
7	क्रय विक्रय सहकारी समितियां	20
8	सहकारी विकास/ब्लाक संघ लि0	21
9	सहकारी बीज/पूर्ति भण्डार	10
10	किसान सेवा/लैम्पस/मध्याकार/साधन सहकारी समितियां	756
11	कृषि सहकारी समितियां	04
12	सहकारी उपभोक्ता भण्डार	36
13	प्राईमरी सहकारी समितियां	01
14	श्रम सविंदा/वेतन भोगी/विशिष्ट सहकारी समितियां	522
15	जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0	12
16	सहकारी दुग्ध समितियां	994
17	सहकारी चीनी मिले	04
18	सहकारी गन्ना समितियां	16
19	सहकारी आवास संघ/समितियां	62
20	बुनकर/खादी/रेशम/उद्योग सहकारी समितियां	262
21	सहकारी मत्स्य समितियां	27
22	जिला पंचायतें	13
23	वैयक्तिक लेखा (पी0 एल0 ए0)	13
24	क्षेत्र पंचायतें	95
25	पंचायत उद्योग	63
26	ग्राम पंचायतें	7,227
	योग:-	10,200

परिशिष्ट "ख"

(आख्या प्रस्तर–3–2– में सन्दर्भित)

सम्परीक्षाधीन संस्थाएं एंव उन पर लागू सम्बन्धित अधिनियम :–

1–जिला सहकारी बैंक :–
(1) बैकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949
(2) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2003 एंव नियमावली 2004
(3) शासन/भारतीय रिजर्व बैंक/नावर्ड/निबन्धक सहारी समितियां द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश
(4) सम्बन्धित संस्था की सेवा नियमावली
(5) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट 1934
(6) पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972
(7) पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट 1965
(8) निगोशियेवल इन्स्टूमेन्ट एक्ट 1881
2– सहकारी संस्थायें:–
(1) उत्तराचंल सहकारिता अधिनियम 2003 / नियमावली 2004
(2) शासन/निबन्धक सहकारी समितियां द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश
(3) सम्बन्धित संस्था की उपविधियां एंव सेवा नियमावली
(4) आयकर अधिनियम 1987/नियमावली
(5) सी0 पी0 एफ0 रूल्स
3– दुग्ध/उद्योग संस्थायें :–
(1) उत्तराचंल सहकारिता अधिनियम 2003 / नियमावली 2004
(2) शासन/दुग्ध आयुक्त/उद्योग निदेशक द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश
(3) सम्बन्धित संस्था की उपविधियां एंव सेवा नियमावली
(4) उ0 प्र0 दुकान एंव वाणिज्य अधिनियम
(5) बिक्रीकर अधिनियम 1948/नियमावली
(6) सैन्ट्ल लेवर एक्ट 1970
(7) कारखाना अधिनियम 1948
(8) वर्क्स कम्पन्सेशन एक्ट
(9) दि पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट 1936
4– गन्ना समितियां:–
(1) उ0प्र0 गन्ना पूर्ति एंव खरीद अधिनियम
(2) शासन/केन कमिश्नर द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश
(3) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2003 एंव नियमावली 2004
5– मत्स्य समितियां :–
(1) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2003 एंव नियमावली 2004
(2) शासन/निदेशक फिशरीज द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश
6– पंचायत संस्थायें :–
(1) उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947/नियमावली
(2) शासन/निदेशक पंचायती राज द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश
(3) जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली
(4) उ0 प्र0 भूमि प्रबन्धन समिति नियम संग्रह

वित्तीय नियमावलियां

1– वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–दो ,तीन,पांच व छः – सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू

2– बजट मैनूअल – सामान्य रूप से संस्थाओ पर लागू

3– समय–समय पर निर्गत शासकीय आदेशो – सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू

4– मैनूअल आफ गवर्नमैन्ट आर्डरस – सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू

5– उपविधियां/सेवा नियमावलियां – सामान्य रूप में अधिकांश संस्थाओ पर लागू

परिशिष्ट "ग"
(आख्या प्रस्तर–5–2 में सन्दर्भित)

आडिट 5471 / दस–300(8) / 74

प्रेषक,

श्री सुदर्शन लाल शाह कुमैया
उप सचिव,उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियां एंव पंचायते,उ0प्र0 लखनऊ
वित्त (लेखा परीक्षा अनुभाग)

लखनऊ : दिनांक सितम्बर,17,1977

विषय :: सहकारी समितियों से वसूली किये जाने वाले लेखा परीक्षा शुल्क की दरो का पुनरीक्षण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 220 के अधीन अधिकारो का प्रयोग करके शासनादेश संख्या ए0एस0टी0–1953 / दस–3000(8) / 53 दिनांक 11 सितम्बर 1969 व उसी कम में जारी किये गये शासनादेश सं0 ए0एस0टी0 300 / दस–3000 (8) / 53 दिनांक 16–4–70 का आशिंक सशोंधन करते हुए राज्यपाल महोदय,सहकारी समितियों द्वारा देय लेखा परीक्षा शुल्क की निम्नलिखित दरे और सीमायें और निर्धारित करते हैं:–

(1)– शीर्षस्थ समितियां जैसे यू0पी0 सहकारी संघ आदि एंव मिल्क् बोर्ड क्रानपुर,मिल्क यूनियन लखनऊ,चीनी मिल,सूती मिल आदि ऐसी संस्थायें,जिनका वार्षिक व्यवसाय (टर्न ओवर) एक करोड़ रूपये से अधिक है,लेखा परीक्षा पर हुए कुल व्यय को वहन करेगी।

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी इन समितियों की लेखा परीक्षा पूर्ण होने पर लेखा परीक्षा पार्टी के उपर हुए व्यय को सम्बन्धित समितियों को संसूचित करेंगे।

(2)– प्रदेश की शेष समितियों पर लेखा परीक्षा शुल्क निम्नलिखित दरो से देय होगा :–

क0स0	सहकारी समितियों की प्रकृति	शुल्क अवधारण का आधार	दर
क–	ऋण समितियां (रू0 का लेन देन करने वाली)	लेखा परीक्षा वर्ष के 30 जून की कार्यशील पूंजी पर	60 पैसे प्रति एक सौ रूपये
ख–	उत्पादन संग्रह,क्रय विक्रय एंव उद्योग समितियां	लेखा परीक्षित वर्ष के विक्रय पर	30 पैसे प्रति एक सौ रूपये
ग–	समितियां जिनका प्रभाव उद्धेश्य परानर्श अथवा सेवा प्रदान करना है	लाभ हानि नक्शे के लाभ पक्ष में दर्शित सकल आय (सकल आय लाभ सहित) पर	सकल आय का 2 प्रतिशत

(3) विभिन्न प्रकार की समितियों द्वारा देय शुल्क की अधिकतम सीमाओ की गणना निम्न प्रकिया के अनुसार की जायेगी।

क0सं0	सहकारी समितियां	अधिकतम सीमा	अधिकतम सीमाओ की गणना प्रकिया
1– क– ख– ग–	जिला / केन्द्रीय सहकारी बैंक 50 लाख रू0 तक की कार्यशील पूंजी पर 50 लाख रू0 से अधिक एक करोड़ रू0 तक की कार्यशील पूंजी पर एक करोड़ रू0 से अधिक कार्यशील पूंजी पर	10,000.00 20,000.00 50,000.00	
2–	नगर बैंक / प्राईमरी सहकारी बैंक	10,000.00	प्रत्येक एक लाख की कार्यशील पूंजी के लिए रू0 200.00
3– क– ख– ग– घ–	प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियां एंव प्रस्तर 2 (क) में उल्लिखित अन्य ऋण व्यवसाय वाली समितियां:– एक लाख रू0 की कार्यशील पूंजी पर एक लाख रू0 से अधिक दो लाख रू0 की कार्यशील पूंजी पर दो लाख रू0 से अधिक चार लाख रू0 तक की कार्यशील पूंजी पर चार लाख रू0 से अधिक की कार्यशील पूंजी पर	 500.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00	 प्रत्येक एक लाख रू0 की कार्यशील पूंजी के लिए रू0 500.00
4–	वेतन भोगी सहकारी समितियां	3,000.00	
5–	जिला सहकारी संघ	10,000.00	प्रत्येक 5 लाख रू0 की बिकी के लिए रू0 1,000.00
6–	सहकारी दुग्ध संघ	5,000.00	
7– 8– 9–	प्रारम्भिक उपभोक्ता भण्डार केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार नया बाजार	1,000.00 2,000.00 3,000.00	प्रत्येक एक लाख रू0 की बिकी के लिए 150.00
10–	उद्योग समितियां	2,500.00	प्रत्येक रू0 25,000.00 की बिकी के लिए रू0 50.00
11–	प्रस्तर दो (ख) में आने वाली अन्य ऐसी समितियां जिन पर शुल्क की सीमा पृथक रूप से नही निर्धारित है अथवा जिनमें लेखा परीक्षा पर होने वाले व्यय का प्रावधान नही है।	2,000.00	प्रत्येक 5 लाख रू0 की बिकी के लिए 1,000.00 रू0
12–	गन्ना संघ एंव समितियां	20,000.00	प्रत्येक एक लाख रू0 की कार्यशील पूंजी के लिए रू0 500.00 एक लाख रू0 से कम कार्यशील पूंजी अथवा कार्यशील पूंजी का वह भाग

			जो एक लाख रू0 अथवा उसके गुणक के अतिरिक्त होगा उस पर लेखा परीक्षा शुल्क सामान्य दर (60 पैसे प्रति 100.00 रू0) से अथवा रू0 500.00 जो भी कम हो लगाया जायेगा।

2– राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते है कि उ0 प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 220 के अनुसार यह आदेश शासनादेश की तिथि से लागू होंगे।

भवदीय
ह0–
(सुदर्शन लाल शाह कुमैया)
उप सचिव

आडिट संख्या 5471 (1)/दस–300 (8)/74

परिशिष्ट – "घ"

सहकारी एंव पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग के लिए स्वीकृत जिला सम्परीक्षा कार्यालयो की सूची :–

क0सं0	जिले का नाम जंहा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित है।
1–	उत्तरकाशी
2–	चमोली
3–	टिहरी (नरेन्द्रनगर)
4–	देहरादून
5–	पौड़ी–गढ़वाल
6–	हरिद्वार
7–	रूद्रप्रयाग
8–	अल्मोड़ा
9–	पिथौरागढ़
10–	नैनीताल
11–	उधमसिंह नगर
12–	बागेश्वर
13–	चम्पावत

जिला सहकारी बैंक लि0:–

कम संख्या	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता
1–	1–जिला सहकारी बैंक लि0, देहरादून	2001–02	–	17,76,050.00	–	50,305.00
	योगः–		–	17,76,050.00	–	50,305.00

जिला भेषज एंव विकास संघ :–

कम संख्या	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता
1–	कुमाँऊ सहकारी संघ लि0 अल्मोड़ा।	2001–02	5,147.00	–	–	1,28,378.00

केन्द्रीय/थोक उपभोक्ता भण्डार :–

क्रम सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	राज स्व क्षति	आर्थिक क्षति	विविध अनियमितता
1–	दून कोआपरेटिव स्टोर्स लि0, देहरादून।	2002–03	–	12,644.00	–	11,493.00	41,837.00

किसान सेवा सहकारी/दीर्घाकार /मध्याकार/साधन सहकारी समितियां :–

कम संख्या	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता
1–	साधन सहकारी समिति लि0, मेगाखाल, टिहरी गढ़वाल।	2000–01 2001–02	30.382.00	160.00	–	–
2–	मासी साधन सहकारी समिति लि0, चौखुटिया ,अल्मोड़ा।	98–99 99–2000 2000–01 2001–02	–	4,616.00	–	1,720.00
3–	साधन सहकारी समिति लि0, चामाकेमर (टिहरी–गढ़वाल)	99–2000 2001–2002	19,838.00	–		–
4–	साधन सहकारी समिति लि0, आमपाटा (टिहरी–गढ़वाल)	98–99 99–2000 2000–2001 2001–2002	14,469.00	27,858.00	–	–
5–	साधन सहकारी समिति लि0, डांगी नैलचामी (टिहरी–गढ़वाल)	2000–2001 2001–2002	29,197.00	–	–	–
6–	तामली साधन सहकारी समिति लि0, चम्पावत।	97–98 98–99 99–2000 2000–2001 2001–2002	15,528.00	–	–	–

7–	रेगडूवत्सो साधन सहकारी समिति लि0, चम्पावत ।	98–99 99–2000 2000–2001 2001–2002	65,183.00	–	–	21,370.00
8–	शक्ति फार्म किसान सेवा सहकारी समिति लि0, उधमसिंहनगर।	2002–2003	15,471.00	2,400.00	–	–
9–	दक्षिणी खटीमा दीर्घाकार बहुउद्धेशीय सहकारी समिति लि0 खटीमा, उधमसिंहनगर।	2002–2003	3,40,416.00	47,301.00	–	1,00,000.00
	योगः–		5,30,484.00	82,335.00	–	1,23,090.00

सहकारी चीनी मिले :–

क0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	राजस्व क्षति	आर्थिक क्षति	विविध अनियमि
1–	दि बाजपुर कोआपरेटिव शूगर फैक्ट्री लि0, बाजपुर, उधमसिंहनगर।	99–2000	–	25,09,288.00	–	91,56,977.00	43,793.0
2–	सहकारी चीनी मिल, गदरपुर	96–97	12,921.00	39,279.00	–	–	–
3–	सहकारी चीनी मिल राजपुर पूरनपुर नादेही।	96–97	–	1,06,486.00	–	–	43,43,340.00
4–	योगः–		12,921.00	26,55,053.00	–	91,56,977.00	43,87,133.00

सहकारी गन्ना समितियां

कम संख्या	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता
1–	सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, बाजपुर	97–98	13,00,000.00	6,500.00	–	–

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ

क्रम संख्या	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	राजस्व क्षति	आर्थिक क्षति	विविध अनियमितता
1–	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 रूद्रपुर, उधमसिंहनगर ।	03–04	22,062.00	–	–	1,90,164.00	—
2–	चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, चम्पावत ।	01–02	4,21,015.00	3,40,673.00	33,116.00	–	3,57,604.00
	योगः–		4,43,077.00	3,40,673.00	33,116.00	1,90,164.00	3,57,604.00

वैयक्तिक लेखा (पी0एल0ए0)

कम संख्या	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक / अनियमित भुगतान	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता
1–	वैयक्तिक लेखा ग्राम पंचायत निधि (पी0एल0ए0) अल्मोड़ा।	2000–2001 2001–2002	–	6,189.00	–	90,72,599.0(

क्षेत्र पंचायत

कम संख्या	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक / अनियमित भुगतान	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता
1–	क्षेत्र पंचायत रामनगर,वि0खण्ड रामनगर, नैनीताल।		–	15,994.00	7,839.00	5,77,743.00

ग्राम पंचायतें:–

कम संख्या	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक / अनियमित भुगतान	राजस्व क्षति	विविध अनियमितत
1–	गढ़, उत्तरकाशी		37,491.00	–	–	6,82,775.0(
2–	पुरोला,, उत्तरकाशी		–	–	–	17,909.00
3–	तालबपुर, उधमसिंहनगर		1,52,587.00	–	–	–
4–	गडसेरा, चमोली	2001–2002	2,520.00	–	–	–
5–	डांगतोली , चमोली	,,	5,740.00	–	–	–
6–	सरकोट, चमोली	2001–2002 2002–2003	5,640.00	1,000.00	–	–
	योग:		2,03,978.00	1,000.00		7,00,684.0(

सारांश

क्र0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	राजस्व हानि	*आर्थिक क्षति*	*विविध अनियमितायें*
1	2	3	4	5	6	7	8
1–	जिला सहकारी बैंक	–	–	17,76,050.00	–	–	50,305.00
2–	जिला भेषज एंव सहकारी विकास संघ	–	5,147.00	–	–	–	1,28,378.00
3–	केन्द्रीय/थोक उपभोक्ता भण्डार	–	–	12,644.00	–	11,493.00	41,837.00
4–	क्रय–विक्रय सहकारी समितियां	–	–	–	–	–	–
5–	किसान सेवा/दीर्घाकार/ साधन सहकारी समिति	–	5,30,484.00	82,335.00	–	–	1,23,090.00
6–	अकृषक/वेतनभोगी सहकारी समितियां	–	–	–	–	–	–
7–	सहकारी चीनी मिले	–	12,921.00	26,55,053.00	–	91,56,977.00	43,87,133.00
8–	गन्ना समितियां	–	13,00,000.00	6,500.00	–	–	–
9–	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ	–	4,43,077.00	3,40,673.00	33,116.00	1,90,164.00	3,57,604.00
10–	वैयक्तिक लेखा (पी0एल0ए0)	–	–	6,189.00	–	–	90,72,599.00
11–	जिला पंचायते	–	–	–	–	–	–
12–	क्षेत्र पंचायतें	–	–	15,994.00	7,839.00	–	5,77,743.00
13–	ग्राम पंचायते	–	2,03,978.00	1000.00	–	–	7,00,684.00
	योग	–	24,95,607.00	48,96,438.00	40,955.00	93,58,634.00	1,54,39,373.00

:: सम्परीक्षा शुल्क का विवरण ::

क्र0स0	नाम जनपद	प्रारम्भिक शेष	मांग	योग	वसूली	इतिशेष
1–	पौड़ी गढ़वाल	334320.00	76270.00	410590.00	110470.00	300120.00
2–	रूद्रप्रयाग	29000.00	18000.00	47000.00	25200.00	21800.00
3–	चमोली	88400.00	399488.00	487888.00	379688.00	108200.00
4–	देहरादून	386419.00	1279799.00	1666218.00	967614.00	698604.00
5–	हरिद्वार	324557.00	313850.00	638407.00	310650.00	327757.00
6–	नैनीताल	150995.00	958755.00	1109750.00	967755.00	141995.00
7–	उत्तरकाशी	169260.00	250312.00	419572.00	285712.00	133860.00
8–	अल्मोड़ा	9900.00	724049.00	733949.00	672993.00	60956.00
9–	उधमसिंहनगर	97460.00	1483921.00	1581381.00	1488421.00	92960.00
10–	टिहरी गढ़वाल	295000.00	797300.00	1092300.00	737600.00	354700.00
11–	बागेश्वर	5100.00	174320.00	179420.00	179420.00	---
12–	पिथौरागढ़	---	657136.00	657136.00	641836.00	15300.00
13–	चम्पावत	---	178295.00	178295.00	176495.00	1800.00
	योगः–	**18,90,411.00**	**73,11,495.00**	**92,01,906.00**	**69,43,854.00**	**22,58,052.00**

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 15 वित्त/435–18–12–2004–500 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो)।